

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान
और प्रशिक्षण परिषद्

वार्षिक लेखा
2018-2019

विद्यया ऽ मृतमश्नुते



एन सी ई आर टी
NCERT

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

वार्षिक लेखा

2018-19

विद्यया ऽ मृतमश्नुते



एन सी ई आर टी
NCERT

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

जनवरी 2020

पौष 1941

PD 2.5H RSP

© राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, 2020

एन.सी.ई.आर.टी. के प्रकाशन प्रभाग के कार्यालय				
एन.सी.ई.आर.टी. कैपस श्री अरविंद मार्ग नयी दिल्ली 110 016	108, फ्रीट रोड हेली एक्सटेंशन, होस्टेकेरे बनाशंकरी III स्टेज बेंगलुरु 560 085	नवजीवन ट्रस्ट भवन डाकघर नवजीवन अहमदाबाद 380 014	सी.डब्ल्यू.सी. कैपस निकट धनकल बस स्टॉप पनिहटी कोलकाता 700 114	सी.डब्ल्यू.सी. कॉम्प्लेक्स मालीगाँव गुवाहाटी 781 021

विषय-सूची

	अनुसूची	पृष्ठ सं.
क. तुलन पत्र		1
i) पूँजीगत निधि	1	2
ii) अभिहित/उद्दिष्ट/अक्षय निधियाँ	2	3
iii) अक्षय निधियाँ	2 (अ)	4
iv) चालू देयताएँ एवं प्रावधान	3	5
v) प्रायोजित परियोजनाएँ	3 (अ)	6-8
vi) प्रायोजित अध्येतावृत्तियाँ एवं छात्रवृत्तियाँ	3 (ब)	9
vii) भारत सरकार से प्राप्त अप्रयुक्त अनुदान	3 (स)	10
viii) स्थायी परिसंपत्तियाँ समेकित विवरण (पूँजीगत + राजस्व)	4	11-12
ix) स्थायी परिसंपत्तियाँ— पूँजीगत	4 (अ)	13-14
x) स्थायी परिसंपत्तियाँ— राजस्व	4 (ब)	15-16
xi) योजना	4 (स)	17
xii) परिसंपत्तियाँ— अन्य (उपहारस्वरूप/प्रायोजित परियोजनाएँ)	4 (द)	18
xiii) उद्दिष्ट/अक्षय निधियों में से निवेश	5	19
xiv) उद्दिष्ट/अक्षय निधियों में से निवेश (निधिवार)	5 (अ)	19
xv) निवेश एवं अन्य	6	20
xvi) चालू परिसंपत्तियाँ	7	21
xvii) बैंक खातों का विवरण	7 (अ)	22
xviii) ऋण, अग्रिम एवं जमा	8	23
xix) प्रायोजित परियोजनाओं के संदर्भ में देनदार	8 (अ)	24
ख. आय एवं व्यय लेखा		25
i) अकादमिक प्राप्तियाँ	9	26
ii) अनुदान/सहायिकियाँ (प्राप्ति अशोध्य अनुदान) 2018-19	10	27
iii) निवेशों से आय	11	28
iv) अर्जित ब्याज	12	29
v) अन्य आय	13	30
vi) पूर्वावधि आय	14	31
vii) स्टॉफ़ भुगतान एवं हितलाभ (स्थापना व्यय)	15	32
viii) कर्मचारी सेवानिवृत्ति और सेवांत हितलाभ	15 (अ)	33
ix) अकादमिक व्यय	16	34

x) प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय	17	35
xi) परिवहन व्यय	18	36
xii) मरम्मत एवं रख-रखाव	19	37
xiii) वित्तीय लागत	20	38
xiv) अन्य व्यय	21	39
xv) पूर्वावधि व्यय	22	40
ग. प्राप्ति एवं भुगतान लेखा		41–43
घ. तुलन पत्र — सामान्य भविष्य निधि लेखा		44
ङ. सामान्य भविष्य निधि लेखा — आय एवं व्यय लेखा		45
च. सामान्य भविष्य निधि लेखा — प्राप्ति एवं भुगतान लेखा		46
छ. नयी पेंशन योजना — तुलन पत्र		47
ज. नयी पेंशन योजना — आय एवं व्यय लेखा		48
झ. नयी पेंशन योजना — प्राप्ति एवं भुगतान लेखा		49–50
ञ. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	23	51–54
ट. लेखा पर टिप्पणियाँ	24	55–63
ठ. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के लेखा पर 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की पृथक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट		64–67
ड. पृथक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक		68

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

क. तुलन पत्र

31 मार्च 2019

राशि ₹ में

निधियों के स्रोत	अनुसूची	चालू वर्ष 2018-19	पिछला वर्ष 2017-18
समग्र/पूँजीगत निधि	1	(4,89,23,88,255)	(5,18,47,42,033)
अभिहित/उद्दिष्ट/अक्षय निधियाँ	2	-	-
चालू देयताएँ एवं प्रावधान	3	17,06,58,82,588	16,79,83,03,671
कुल		12,17,34,94,333	11,61,35,61,638

निधियों का प्रयोग	अनुसूची	चालू वर्ष 2018-19	पिछला वर्ष 2017-18
स्थिर परिसंपत्तियाँ			
मूर्त परिसंपत्तियाँ	4	1,60,85,24,809	1,57,11,42,296
अमूर्त परिसंपत्तियाँ		23,65,071	34,63,631
कार्यशील पूँजी			
उद्दिष्ट/अक्षय निधियों में से निवेश	5	-	-
दीर्घकालीन		-	-
अल्पकालीन		-	-
निवेश – अन्य	6	7,07,93,02,306	5,77,43,02,306
चालू परिसंपत्तियाँ	7	2,28,86,68,578	3,25,96,34,866
ऋण, अग्रिम एवं जमा	8	1,19,46,33,570	1,00,50,18,539
कुल		12,17,34,94,333	11,61,35,61,638

मुख्य लेखाधिकारी
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110 016

सचिव
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 1 — पूँजीगत निधि

राशि ₹ में

विवरण	चालू वर्ष 2018-19	पिछला वर्ष 2017-18
वर्ष के प्रारंभ में शेष	(5,18,47,42,033)	(4,45,03,79,974)
जमा — पूँजीगत निधि में अंशदान	25,45,78,687	13,60,72,588
जमा — भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों में से पूँजीगत व्यय के लिए प्रयुक्त	-	-
जमा — उद्दिष्ट निधियों में से क्रय की गई परिसंपत्तियाँ	-	-
जमा — प्रायोजित परियोजनाओं में से क्रय की गई परिसंपत्तियाँ, जहाँ संस्थान का स्वामित्व हो	13,17,659	40,77,057
जमा — दान की गई परिसंपत्तियाँ/प्राप्त किए गए उपहार	1,63,717	1,55,348
जमा — अन्य परिवर्धन/समायोजन	(62,01,45,588)	(9,42,59,430)
जमा — आय के व्यय से आधिक्य को आय एवं व्यय लेखा में से हस्तांतरित किया गया	65,64,39,303	-
कुल	(4,89,23,88,255)	(4,40,43,34,411)
(घटा) व्यय लेखा	-	(78,04,07,622)
वर्ष के अंत में शेष	(4,89,23,88,255)	(5,18,47,42,033)

मुख्य लेखाधिकारी
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110 016

सचिव
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 2 — अभिहित/उद्दिष्ट/अक्षय निधियाँ

राशि ₹ में

विवरण	निधिवार विवरण				कुल	
	निधि अअअ	निधि बबब	निधि ससस	अक्षय निधियाँ	चालू वर्ष 2018-19	पिछला वर्ष 2017-18
अ.						
क) आदि शेष	-	-	-	-	-	-
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-	-	-	-	-
ग) निधियों में से किए गए निवेश से आय	-	-	-	-	-	-
घ) निवेश/अग्रिमों पर प्रोदभूत ब्याज	-	-	-	-	-	-
ङ) बचत बैंक खाते पर ब्याज	-	-	-	-	-	-
च) अन्य परिवर्धन (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-
कुल (अ)	-	-	-	-	-	-
ब.						
निधियों के उद्देश्यों के लिए उपयोग/व्यय						
i) पूँजीगत व्यय	-	-	-	-	-	-
ii) राजस्व व्यय	-	-	-	-	-	-
कुल (ब)	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में अंतः शेष (अ-ब)	-	-	-	-	-	-
निम्नलिखित द्वारा दर्शाया गया है						
नकद एवं बैंक शेष	-	-	-	-	-	-
निवेश	-	-	-	-	-	-
प्रोदभूत ब्याज किंतु अदेय	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-

मुख्य लेखाधिकारी
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110 016

सचिव
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 3 — चालू देयताएँ एवं प्रावधान

राशि ₹ में

	चालू वर्ष 2018-19	पिछला वर्ष 2017-18
अ. चालू देयताएँ		
1. स्टॉफ द्वारा जमा	48,92,732	49,84,571
2. विद्यार्थियों द्वारा जमा		
3. विविध लेनदार	18,50,68,585	58,70,32,660
i) वस्तुएँ एवं सेवाओं के लिए	(19,40,115)	(19,40,115)
ii) अन्य	6,56,29,214	6,30,26,152
4. जमा-अन्य (ई.एम.डी., प्रतिभूति जमा सहित)		
5. सांविधिक देयताएँ (जी.पी.एफ., टी.डी.एस., डब्ल्यू.सी.टैक्स., सी.पी.एफ., जी.आई.एस., एन.पी.एस.) —	-	-
i) अतिदेय	1,37,91,41,647	1,00,38,42,234
ii) अन्य		
6. अन्य चालू देयताएँ		
i) वेतन	4,39,882	4,39,882
ii) पेंशन	36,752	36,752
iii) प्रायोजित अध्येतावृत्तियों एवं छात्रवृत्तियों की प्रति रसीदें		
iv) अप्रयुक्त अनुदान	71,25,475	-
v) अग्रिम अनुदान	30,39,25,147	38,27,64,081
vi) अन्य निधियाँ	-	-
vii) अन्य देयताएँ	22,90,67,189	12,85,27,372
कुल (अ)	2,17,33,86,508	2,16,87,13,589
ब. प्रावधान		
1. करारोपण		
2. उपदान	70,93,23,321	2,64,69,65,817
3. अधिवर्षिता पेंशन	13,57,37,94,491	11,31,29,40,984
4. संचित छुट्टी नकदीकरण	60,93,78,268	66,96,83,281
5. व्यापारिक आश्वासन/दावे	-	-
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल (ब)	14,89,24,96,080	14,62,95,90,082
कुल (अ+ब)	17,06,58,82,588	16,79,83,03,671

मुख्य लेखाधिकारी
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110 016

सचिव
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
31.03.2019 को विशिष्ट अनुदानों के अंतर्गत कोषों की स्थिति

अनुसूची 3 (अ) — प्रायोजित परियोजनाएँ

राशि ₹ में

क्र. सं.	परियोजना का नाम	प्रायोजक एजेंसी	01.04.2018 को आदि शेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ/वसूली	कुल	वर्ष के दौरान व्यय	31.03.2019 को अंतिम शेष
		1	2	3	4 (2+3)	5	6 (4+5)
1.	अध्यापक शिक्षा पर पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय मिशन, आई.यू.सी.टी.ई.	मा.सं.वि.मं.	8,87,21,552	5,00,000	8,92,21,552	3,31,49,521	5,60,72,031
2.	आर.एम.एस. प्रकोष्ठ-आर.एम.एस.ए. (कला उत्सव सहित) के तहत माध्यमिक शिक्षा मध्यस्थता में हस्तक्षेप गुणवत्ता को मजबूत करना	मा.सं.वि.मं.	(1,88,62,848)	14,10,94,136	12,22,31,288	7,73,49,062	4,48,82,226
3.	टेलीविजन द्वारा पारस्परिक विचार-विमर्श के माध्यम से सेवाकालीन प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण (आई.पी.वी.टी.-आई.टी.वी.)	मा.सं.वि.मं.	2,29,57,891	-	2,29,57,891	-	2,29,57,891
4.	मूक्स	मा.सं.वि.मं.	2,20,40,217	-	2,20,40,217	45,30,056	1,75,10,161
5.	मध्यकालीन सर्वेक्षण/एन.ए.एस. कक्षा V-VIII (एस.एस.ए.-ई.एस.डी.)	मा.सं.वि.मं.	3,15,89,513	-	3,15,89,513	1,71,22,703	1,44,66,810
6.	क्यू.एम.टी. की पी.ए.बी. अनुमोदित परियोजनाओं, प्रारंभिक साक्षरता कार्यक्रम और समूह अंकगणित हेतु एस.एस.ए. के अंतर्गत अनुदान (एस.एस.ए.-डी.ई.ई.)	मा.सं.वि.मं.	38,81,928	1,54,89,900	1,93,71,828	1,49,30,592	44,41,236
7.	सी.सी.ई. के विद्यमान एनएएस आँकड़ों के सुदृढीकरण के लिए विश्लेषण तथा प्रचार-प्रसार और विद्यालय आधारित निर्धारण एवं अधिगम संसाधन का विकास (ई.एस.डी.)	यूनीसेफ	(1,94,743)	76,00,748	74,06,005	46,58,627	27,47,378
8.	जेंडर समानता के परिप्रेक्ष्य से शिक्षा और कौशल विकास पर नीति अनुसंधान—भारत और कोरिया का एक तुलनात्मक अध्ययन (डी.जी.एस.)	कोरिया फाउन्डेशन (के.एफ.)	-	20,01,621	20,01,621	6,03,876	13,97,745
9.	राष्ट्रीय कौशल अर्हता की रूपरेखा (एन.एस.क्यू.एफ.-पी.एस.एस. सी.आई.वी.ई.)	मा.सं.वि.मं.	11,10,407	-	11,10,407	-	11,10,407
10.	प्रयोगात्मक नवाचारी कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता की योजना स्वैच्छिक एजेंसी अनुदान	मा.सं.वि.मं.	9,27,429	-	9,27,429	-	9,27,429
11.	अध्ययन परियोजना (डी.पी.ई.पी.)	मा.सं.वि.मं.	5,55,163	-	5,55,163	-	5,55,163

12.	यूनेस्को (सी.आई.ई.टी.)	यूनेस्को	2,65,568	-	2,65,568	-	2,65,568
13.	विद्यालय में केंद्र प्रायोजित योजना आई.सी.टी. के अंतर्गत सभी एस.आई.ई.टी. में उपकरणों का प्रतिस्थापन (सी.आई.ई.टी.)	मा.सं.वि.मं.	2,20,177	-	2,20,177	-	2,20,177
14.	प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रारंभिक आयु वर्ग के बच्चों के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों का पूर्व स्वीकृत मूल्यांकन	मा.सं.वि.मं.	6,44,128	-	6,44,128	4,39,770	2,04,358
15.	डी.बी.टी. फोल्डस्कोप (पेपर माइक्रोस्कोप) परियोजना (डी.ई.के.)	डी.बी.टी	-	3,00,000	3,00,000	1,71,726	1,28,274
16.	स्वयं प्रभा	मा.सं.वि.मं.	19,39,688	-	19,39,688	18,76,385	63,303
17.	माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की छात्राओं के लिए छात्रावास सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए योजना का मूल्यांकन	मा.सं.वि.मं.	91,664	-	91,664	67,833	23,831
18.	डी.पी.ई.पी. के अंतर्गत आधार रेखा उपलब्धि सर्वेक्षण	मा.सं.वि.मं.	2,02,262	-	2,02,262	1,96,655	5,607
19.	वर्ष 1993-94 के दौरान अध्यापकों के लिए विशेष अभिविन्यास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए एन.सी.ई.आर. टी. को अनुदान सहायता	मा.सं.वि.मं.	5,144	-	5,144	2,400	2,744
20.	वर्ष 2010-11 के दौरान विद्यालय में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) की केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत 'माध्यमिक गणित का आई.सी.टी. के साथ शिक्षण' परियोजना के कार्यान्वयन के लिए	मा.सं.वि.मं.	24,056	-	24,056	23,000	1,056
21.	शिक्षा में सांस्कृतिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए सहायता योजना	मा.सं.वि.मं.	1,56,235	-	1,56,235	1,56,235	-
22.	अंतरराष्ट्रीय संबंध प्रभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय एकीकरण मॉड्यूल	आई.आई.टी.डी.	4,384	1,00,000	1,04,384	1,04,384	-
23.	डी.टी.एच. टीवी चैनल	मा.सं.वि.मं.	-	-	-	9,974	(9,974)
24.	सी-डैक (सी.आई.ई.टी.)	सी-डैक	1,711	-	1,711	14,150	(12,439)
25.	दीक्षा	मा.सं.वि.मं.	-	-	-	1,44,090	(1,44,090)
26.	उपग्रह नेटवर्क	मा.सं.वि.मं.	-	-	-	4,52,667	(4,52,667)

27. तृतीय पक्ष मूल्यांकन	मा.सं.वि.मं.	-	-	-	6,44,449	(6,44,449)
28. ई-पीजी पाठशाला	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	(6,85,312)	-	(6,85,312)	-	(6,85,312)
29. आर.एम.एस.ए.-ई.एस.डी./राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के अंतर्गत माध्यमिक स्तर पर अधिगम स्तर की आधार-रेखा मूल्यांकन के लिए प्रारंभिक कार्यकलाप	मा.सं.वि.मं.	(7,63,739)	-	(7,63,739)	1,79,33,442	(1,86,97,181)
30. एन.आर.ओ.ई.आर. (सी.आई.ई.टी.)/शिक्षा में आई.सी.टी. के उपयोग के लिए शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार (सी.आई.ई.टी.)	मा.सं.वि.मं.	(2,66,04,858)	2,66,04,000	(858)	2,11,55,769	(2,11,56,627)
कुल		12,82,27,618	19,36,90,405	32,19,18,023	19,57,37,366	12,61,80,657

विशिष्ट परियोजना के लिए उपयोग प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अनुदान का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया है, जिसके लिए इसे प्राप्त किया गया और इसके साथ संलग्न शर्तों को भी विधिवत् पूरा किया गया है। अनुसूची संख्या 8 में विशिष्ट अनुदानों का ऋण एवं अग्रिम में नामे शेष (ऋणात्मक शेष) दर्शाया गया है।

∞ *चालू वित्त वर्ष 2018-19 से, बिंदु संख्या 2, 5, 6, 29 और 32 को एस.एस.आई.एस. (समग्र शिक्षा इंटिग्रेटिड स्कीम) के अन्तर्गत विलय कर दिया गया है।

मुख्य लेखाधिकारी
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110 016

सचिव
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 3 (ब) — प्रायोजित अध्येतावृत्तियाँ एवं छात्रवृत्तियाँ

राशि ₹ में

1	2	3	4	5	6	7	8
क्र. सं.	प्रायोजक का नाम	1.04.2018 को आदि शेष	नामे	वर्ष 2018-19 के दौरान लेन-देन के दौरान लेन-देन	नामे	31.03.2019 को अंतः शेष	नामे
		जमा	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे
1.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	-	-	-	-	-	-
2.	मंत्रालय	-	-	-	-	-	-
3.	अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-
	कुल	-	-	-	-	-	-

टिप्पणी—

- कॉलम 7 (जमा) का योग उपर्युक्त शीर्ष के अंतर्गत तुलन पत्र के देयता पक्ष में दर्शाया जाएगा।
- कॉलम 8 (नामे) का योग अनुसूची 8 (ऋण) में तुलन पत्र के परिसंपत्तियाँ पक्ष में प्राप्य के रूप में दर्शाया जाएगा।

मुख्य लेखाधिकारी
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110 016

सचिव
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 3 (स) — भारत सरकार से प्राप्त अप्रयुक्त अनुदान

राशि ₹ में

	चालू वर्ष 2018-19	पिछला वर्ष 2017-18
अ. योजना अनुदान— भारत सरकार		
अग्रानीत शेष	-	77,895
जमा - वर्ष के दौरान प्रयोग की गई आंतरिक प्राप्तियाँ	-	29,70,409
जमा : अर्जित ब्याज	-	36,962
जमा - वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	25,00,00,000	12,01,00,000
कुल (क)	25,00,00,000	12,31,85,266
घटा - प्रतिदाय	-	-
घटा - राजस्व व्यय के लिए प्रयुक्त	-	-
घटा - पूँजीगत व्यय के लिए प्रयुक्त	24,57,23,240	12,31,85,266
कुल (ख)	24,57,23,240	12,31,85,266
अप्रयुक्त अग्रानीत (क-ख)	42,76,760	-
ब. यू.जी.सी. अनुदान— योजना		
अग्रानीत शेष	-	-
वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	-	-
कुल (ग)	-	-
घटा - प्रतिदाय	-	-
घटा - राजस्व व्यय के लिए प्रयुक्त	-	-
घटा - पूँजीगत व्यय के लिए प्रयुक्त	-	-
कुल (घ)	-	-
अप्रयुक्त अग्रानीत (ग-घ)	-	-
स. राजस्व अनुदान— भारत सरकार		
अग्रानीत शेष	22,62,87,811	6,11,01,616
जमा - वर्ष के दौरान प्रयोग की गई आंतरिक प्राप्तियाँ	62,01,45,588	10,80,89,021
जमा : अर्जित ब्याज	-	88,903
जमा - वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	2,58,54,05,000	2,76,70,00,000
कुल (च)	3,43,18,38,399	2,93,62,79,540
घटा - प्रतिदाय		
घटा - राजस्व व्यय के लिए प्रयुक्त	3,29,13,17,961	2,69,71,04,407
घटा - पूँजीगत व्यय के लिए प्रयुक्त	88,55,447	1,28,87,322
कुल (छ)	3,30,01,73,408	2,70,99,91,729
अप्रयुक्त अग्रानीत (च-छ)	13,16,64,991	22,62,87,811
द. राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान		
अग्रानीत शेष	-	-
जमा - वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	-	-
कुल (ज)	-	-
घटा - राजस्व व्यय के लिए प्रयुक्त	-	-
घटा - पूँजीगत व्यय के लिए प्रयुक्त	-	-
कुल (झ)	-	-
अप्रयुक्त अग्रानीत (ज-झ)	-	-
कुल योग (अ+ब+स+द)	13,59,41,751	22,62,87,811

टिप्पणी— एन.ई.आर. के आदि शेष को राजस्व अनुदान में स्थानांतरित किया गया।

मुख्य लेखाधिकारी
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110 016

10

सचिव
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 4 — स्थायी परिसंपत्तियाँ समेकित विवरण (पूँजीगत + राजस्व)

राशि ₹ में

क्र. सं.	परिसंपत्तियाँ शीर्ष	सकल खंड				वर्ष के लिए मूल्यहास						शुद्ध खंड	
		01.04.2018 को आदि शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	31 मार्च, 2019 को स्थिति (1+2-3)	मूल्यहास आदि शेष	मूल्यहास की दर	वर्ष के दौरान मूल्यहास	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	कटौतियाँ/समायोजन	31.03.2019 तक मूल्यहास (5+7-8)	31.03.2019 (4-10)	31.03.2018
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	भूमि	37,54,36,110	-	-	37,54,36,110	-	0%	-	-	-	-	37,54,36,110	37,54,36,110
2.	भवन	82,49,93,351	2,04,83,592	-	84,54,76,942	1,64,99,867	2%	4,09,672	-	-	1,69,09,539	82,85,67,403	82,49,93,351
3.	सीवर एवं जल निकास व्यवस्था	40,425	96,000	-	1,36,425	809	2%	1,920	-	-	2,729	1,33,696	40,425
4.	नलकूप एवं जलापूर्ति	1,51,900	46,58,368	-	48,10,268	3,038	2%	93,167	-	-	96,205	47,14,063	1,51,900
5.	विद्युत संस्थापन एवं उपकरण	5,08,86,938	50,06,971	-	5,58,93,909	25,44,347	5%	2,50,350	-	-	27,94,697	5,30,99,211	5,08,86,938
6.	पूँजी और मशीन	95,88,508	12,08,723	-	1,07,97,230	4,79,426	5%	60,437	-	-	5,39,863	1,02,57,366	95,88,508
7.	वैज्ञानिक एवं प्रयोगशाला उपकरण	67,16,389	29,04,797	-	96,21,187	5,37,311	8%	2,32,384	-	-	7,69,695	88,51,492	67,16,389
8.	कार्यालय उपकरण	2,25,24,628	46,50,771	-	2,71,75,397	16,89,349	7.50%	3,48,809	-	-	20,38,158	2,51,37,240	2,25,24,628
9.	श्रव्य-दृश्य उपकरण	6,62,00,038	69,51,542	-	7,31,51,579	49,65,003	7.50%	5,21,366	-	-	54,86,369	6,76,65,208	6,62,00,038
10.	कंप्यूटर एवं हिस्से-पुर्जे	5,53,97,598	2,43,41,093	-	7,97,38,693	1,10,79,523	20%	48,68,219	-	-	1,59,47,742	6,37,90,954	5,53,97,598
11.	फर्नीचर, जुड़नार एवं साज-सज्जा	7,61,15,869	1,64,12,277	-	9,25,28,147	57,08,688	7.50%	12,30,921	-	-	69,39,609	8,55,88,538	7,61,15,869
12.	वाहन	27,37,975	-	-	27,37,975	2,73,799	10%	-	-	-	2,73,799	24,64,177	27,37,975
13.	पुस्तकालय की पुस्तकें एवं वैज्ञानिक पत्रिकाएँ	5,37,39,917	1,33,30,985	21,867	6,70,49,033	53,73,992	10%	13,30,913	-	-	67,04,905	6,03,44,130	5,37,39,917
14.	कम मूल्यवान परिसंपत्तियाँ	-	1,79,820	-	1,79,820	-	100%	1,79,820	-	-	1,79,820	-	-
	कुल (अ)	1,54,45,29,646	10,02,24,939	21,867	1,64,47,32,715	4,91,55,152		95,27,978	-	-	5,86,83,130	1,58,60,49,588	1,54,45,29,646
15.	कंप्यूटर एवं सहायक उपकरण (उपहारस्वरूप परिसंपत्तियाँ तथा प्रायोजित परियोजनाएँ) अनुलमनक 4 (द) का संदर्भ ले कुल (ब)	2,66,12,650	14,81,376	-	2,80,94,026	-	20%	56,18,804	-	-	56,18,804	2,24,75,221	2,66,12,650
	कुल (अ+ब)	1,57,11,42,296	10,17,06,315	21,867	1,67,28,26,741	4,91,55,152		1,51,46,782	-	-	6,43,01,934	1,60,85,24,809	1,57,11,42,296
16.	चालू कार्य पूँजी (स)	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-

क्र.सं.	अमूर्त परिसंपत्तियाँ	आदि शेष	परिवर्धन	कटौतियाँ	अंतः शेष	मूल्यहास आदि शेष		वर्ष के लिए परिशोधन	कटौतियाँ / समायोजन	कुल परिशोधन परिशोधन	31.03.2019	31.03.2018	
17.	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	1,37,940	1,97,650	-	3,35,590	55,176	40%	79,060	-	1,34,236	2,01,354	1,37,940	
18.	ई-पत्रिकाएँ	33,25,691	12,86,903	-	46,12,594	9,27,716	40%	5,14,761	10,06,400	24,48,877	21,63,717	33,25,691	
19.	पेटेंट	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	कुल (द)	34,63,631	14,84,553	-	49,48,184	9,82,892		5,93,821	10,06,400	25,83,113	23,65,071	34,63,631	
		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	

मुख्य लेखाधिकारी
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110 016

सचिव
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 4 (अ) — स्थायी परिसंपत्तियाँ — पूँजीगत

राशि ₹ में

क्र. सं.	परिसंपत्तियाँ शीर्ष	सकल खंड				वर्ष के लिए मूल्यहास					शुद्ध खंड		
		01.04.2018 को आदि शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	31 मार्च, 2019 (1+2-3)	मूल्यहास आदि शेष	वर्ष के दौरान मूल्यहास की दर	वर्ष के दौरान मूल्यहास	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / कटौतियाँ / समायोजन	31.03.2019 तक कुल मूल्यहास (5+7-8)	31.03.2019 (4-10)	31.03.2018	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	भूमि	37,54,36,110	-	-	37,54,36,110	-	0%	-	-	-	-	37,54,36,110	37,54,36,110
2.	भवन	78,42,04,945	2,04,83,592	-	80,46,88,537	1,56,84,099	2%	4,09,672	-	-	1,60,93,771	78,85,94,766	78,42,04,945
3.	सीवर एवं जल निकास व्यवस्था	-	96,000	-	96,000	-	2%	1,920	-	-	1,920	94,080	-
4.	नलकूप एवं जलापूर्ति	1,51,900	46,58,368	-	48,10,268	3,038	2%	93,167	-	-	96,205	47,14,063	1,51,900
5.	विद्युत संस्थापन एवं उपकरण	3,41,82,468	37,84,949	-	3,79,67,417	17,09,123	5%	1,89,248	-	-	18,98,371	3,60,69,045	3,41,82,468
6.	पूँजी और मशीन	7,03,581	3,78,460	-	10,82,041	35,179	5%	18,923	-	-	54,102	10,27,938	7,03,581
7.	वैज्ञानिक एवं प्रयोगशाला उपकरण	20,44,850	-	-	20,44,850	1,63,588	8%	-	-	-	1,63,588	18,81,262	20,44,850
8.	कार्यालय उपकरण	1,11,88,283	21,46,932	-	1,33,35,215	8,39,122	7.5%	1,61,021	-	-	10,00,143	1,23,35,073	1,11,88,283
9.	श्रव्य-दृश्य उपकरण	11,04,047	17,75,732	-	28,79,779	82,803	7.5%	1,33,179	-	-	2,15,982	26,63,795	11,04,047
10.	कंप्यूटर एवं हिस्से-पुर्जे	1,76,22,221	1,46,97,992	-	3,23,20,213	35,24,447	20%	29,39,599	-	-	64,64,046	2,58,56,170	1,76,22,221
11.	फर्नीचर, जुड़नार एवं साज-सज्जा	3,89,27,410	84,28,996	-	4,73,56,406	29,19,555	7.5%	6,32,174	-	-	35,51,729	4,38,04,677	3,89,27,410
12.	वाहन	26,85,592	-	-	26,85,592	2,68,561	10%	-	-	-	2,68,561	24,17,032	26,85,592
13.	पुस्तकालय की पुस्तकें एवं वैज्ञानिक पत्रिकाएँ	3,89,03,011	-	21,807	3,88,81,204	38,90,302	10%	(2,181)	-	-	38,88,121	3,49,93,085	3,89,03,011
14.	कम मूल्यवान परिसंपत्तियाँ	-	2,398	-	2,398	-	100%	2,398	-	-	2,398	-	-
	कुल (अ)	1,30,71,54,418	5,64,53,419	21,807	1,36,35,86,030	2,91,19,817		45,79,120	-	-	3,36,98,937	1,32,98,87,096	1,30,71,54,418
15.	अन्य कुल (ब)	-	-	-	-	-	20%	-	-	-	-	-	-
	कुल (अ+ब)	1,30,71,54,418	5,64,53,419	21,807	1,36,35,86,030	2,91,19,817		45,79,120	-	-	3,36,98,937	1,32,98,87,096	1,30,71,54,418
16.	चालू कार्य पूँजी (स)	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-

क्र. सं.	अमूर्त परिसंपत्तियाँ	आदि शेष	परिवर्धन	कटौतियाँ	अंत:शेष	मूल्यहास आदि शेष	मूल्यहास की दर	वर्ष के लिए परिशोधन	कटौतियाँ/समायोजन	कुल परिशोधन/समायोजन	31.03.2019	31.03.2018	
19.	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	ई-पत्रिकाएँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	पेटेंट	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल (द)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

मुख्य लेखाधिकारी
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110 016

सचिव
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 4 (ब) — स्थायी परिसंपत्तियाँ — राजस्व

राशि ₹ में

क्र. सं.	परिसंपत्तियाँ शीर्ष	सकल खंड				वर्ष के लिए मूल्यहास					शुद्ध खंड		
		01.04.2018 को आदि शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	31 मार्च, 2019 (1+2-3)	मूल्यहास आदि शेष	मूल्यहास की दर	वर्ष के दौरान मूल्यहास	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	कटौतियाँ / समायाजन	31.03.2019 तक मूल्यहास (5+7-8)	31.03.2019 (4-10)	31.03.2018
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	भूमि	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
2.	भवन	4,07,88,406	-	-	4,07,88,405	8,15,768	2%	-	-	-	8,15,768	3,99,72,637	4,07,88,406
3.	सीवर एवं जल निकास व्यवस्था	40,425	-	-	40,425	809	2%	-	-	-	809	39,616	40,425
4.	नलकूप एवं जलापूर्ति	-	-	-	-	-	2%	-	-	-	-	-	-
5.	विद्युत संस्थापन एवं उपकरण	1,67,04,470	12,22,022	-	1,79,26,492	8,35,224	5%	61,102	-	-	8,96,326	1,70,30,166	1,67,04,470
6.	पूँजी और मशीन	88,84,927	8,30,263	-	97,15,189	4,44,247	5%	41,514	-	-	4,85,761	92,29,428	88,84,927
7.	वैज्ञानिक एवं प्रयोगशाला उपकरण	46,71,539	29,04,797	-	75,76,337	3,73,723	8%	2,32,384	-	-	6,06,107	69,70,230	46,71,539
8.	कार्यालय उपकरण	1,13,36,345	25,03,839	-	1,38,40,182	8,50,227	7.5%	1,87,788	-	-	10,38,015	1,28,02,167	1,13,36,345
9.	श्रव्य-दृश्य उपकरण	6,50,95,991	51,75,810	-	7,02,71,800	48,82,200	7.5%	3,88,187	-	-	52,70,387	6,50,01,413	6,50,95,991
10.	कंप्यूटर एवं हिस्से-पुर्जे	3,77,75,377	96,43,101	-	4,74,18,480	75,55,076	20%	19,28,620	-	-	94,83,696	3,79,34,784	3,77,75,377
11.	फर्नीचर, जुड़नार एवं साज-सज्जा	3,71,88,459	79,83,281	-	4,51,71,741	27,89,133	7.5%	5,98,747	-	-	33,87,880	4,17,83,861	3,71,88,459
12.	वाहन	52,383	-	-	52,383	5,238	10%	-	-	-	5,238	47,145	52,383
13.	पुस्तकालय की पुस्तकें एवं वैज्ञानिक पत्रिकाएँ	1,48,36,906	1,33,30,985	60	2,81,67,829	14,83,690	10%	13,33,094	-	-	28,16,784	2,53,51,045	1,48,36,906
14.	कम मूल्यवान परिसंपत्तियाँ	-	1,77,422	-	1,77,422	-	100%	1,77,422	-	-	1,77,422	-	-
	कुल (अ)	23,73,75,228	4,37,71,520	60	28,11,46,685	2,00,35,335		49,48,858	-	-	2,49,84,193	25,61,62,492	23,73,75,228
15.	अन्य कुल (ब)	-	-	-	-	-	20%	-	-	-	-	-	-
	कुल (अ+ब)	23,73,75,228	4,37,71,520	60	28,11,46,685	2,00,35,335		49,48,858	-	-	2,49,84,193	25,61,62,492	23,73,75,228
16.	चालू कार्य पूँजी (स)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

क्र. सं.	अमूर्त परिसंपत्तियाँ	आदि शेष	परिवर्धन	कटौतियाँ	अंतः शेष	मूल्यहास आदि शेष	मूल्यहास की दर	वर्ष के लिए परिशोधन	कटौतियाँ/समायोजन	कुल परिशोधन/समायोजन	31.03.2019	31.03.2018
17.	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	1,37,940	1,97,650	-	3,35,590	55,176	40%	79,060	-	1,34,236	2,01,354	1,37,940
18.	ई-पत्रिकाएँ	33,25,691	12,86,903	-	46,12,594	9,27,716	40%	5,14,761	10,06,400	24,48,877	21,63,717	33,25,691
19.	पेटेंट	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल (द)	34,63,631	14,84,553	-	49,48,184	9,82,892	-	5,93,821	10,06,400	25,83,113	23,65,071	34,63,631

मुख्य लेखाधिकारी
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110 016

सचिव
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 4 (स) — योजना

राशि ₹ में

क्र. सं.	परिसंपत्तियाँ शीर्ष	सकल खंड				वर्ष के लिए मूल्यहास					शुद्ध खंड	
		1.04.2018 को आदि शेष	परिवर्धन	कटौतियाँ	अंतः शेष	मूल्यहास आदि शेष	वर्ष के लिए मूल्यहास	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	कटौतियाँ/समायोजन	कुल मूल्यहास	31.03.2019	31.03.2018
1.	पेटेंट एवं प्रकाशनाधिकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	ई-पत्रिकाएँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

मुख्य लेखाधिकारी
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110 016

सचिव
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 4 (द) — परिसंपत्तियाँ — अन्य (उपहारस्वरूप/प्रायोजित परियोजनाएँ)

राशि ₹ में

क्र. सं.	परिसंपत्तियाँ शीर्ष	सकल खंड				कम हुआ		निवल खंड	
		1.04.2018 को आदि शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	31 मार्च 2019 को (1+2-3)	कॉलम सं. 4 की 20%	कुल	31.03.2019 को (4-5)	31.03.2018 को
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	विशिष्ट अनुदानों से अर्जित परिसंपत्तियाँ तथा उपहारस्वरूप परिसंपत्तियाँ	2,66,12,650	14,81,376	-	2,80,94,026	56,18,805	56,18,805	2,24,75,221	2,66,12,650
	कुल (अ)	2,66,12,650	14,81,376	-	2,80,94,026	56,18,805	56,18,805	2,24,75,221	2,66,12,650
2.	कार्यशील पूंजी (ब)	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	कुल योग (अ+ब)	2,66,12,650	14,81,376	-	2,80,94,026	56,18,805	56,18,805	2,24,75,221	2,66,12,650

18

टिप्पणी— वर्ष के दौरान परिवर्धनों में निम्नलिखित में से शामिल है—

	राशि
उपहारस्वरूप	1,63,717
उद्दिष्ट निधियाँ	-
प्रायोजित परियोजनाएँ	13,17,659
निजी निधियाँ	-
कुल	14,81,376

मुख्य लेखाधिकारी
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110 016

सचिव
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 5 — उद्दिष्ट/अक्षय निधियों में से निवेश

राशि ₹ में

	चालू वर्ष 2018-19	पिछला वर्ष 2017-18
1. केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में	-	-
2. राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में	-	-
3. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	-	-
4. शेयर	-	-
5. ऋण पत्र तथा बॉन्ड	-	-
6. बैंक में सावधि जमा	-	-
7. अन्य (निर्दिष्ट की जाए)	-	-
कुल	-	-

मुख्य लेखाधिकारी
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110 016

सचिव
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110 016

अनुसूची 5 (अ) — उद्दिष्ट/अक्षय निधियों में से निवेश (निधिवार)

राशि ₹ में

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष 2018-19	पिछला वर्ष 2017-18
1.	अक्षय निधि निवेश	-	-
		-	-

टिप्पणी — इस उप-अनुसूची का योग अनुसूची 5 के योग के अनुकूल होना चाहिए।

मुख्य लेखाधिकारी
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110 016

सचिव
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 6—निवेश एवं अन्य

राशि ₹ में

	चालू वर्ष 2018-19	पिछला वर्ष 2017-18
1. केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में	-	-
2. राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में	-	-
3. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	-	-
4. शेयर	-	-
5. सामान्य भविष्य निधि में से सृजित ऋण पत्र तथा बॉन्ड	8,60,00,000	8,60,00,000
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
(अ) सामान्य भविष्य निधि से सृजित दीर्घकालीन जमा	1,24,33,02,306	1,13,83,02,306
(ब) अल्पकालीन जमा	5,75,00,00,000	4,55,00,00,000
कुल	7,07,93,02,306	5,77,43,02,306

मुख्य लेखाधिकारी
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110 016

सचिव
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 7 — चालू परिसंपत्तियाँ

राशि ₹ में

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष 2018-19	पिछला वर्ष 2017-18
1.	स्टॉक—		
	क) भंडार-मुद्रण कागज़	-	-
	ख) खुले उपकरण	-	-
	ग) प्रकाशन	1,78,98,11,888	1,92,84,64,163
	घ) प्रयोगशाला रसायन, उपभोज्य वस्तुएँ एवं काँच के बर्तन	-	-
	ङ) भवन सामग्री	-	-
	च) लेखन सामग्री	-	-
	छ) जलापूर्ति सामग्री	-	-
2.	विविध देनदार—		
	अ) छ: माह से अधिक की अवधि के लिए बकाया ऋण	-	54,29,770
	ब) अन्य	1,24,45,609	1,24,83,675
3.	नकद एवं बैंक शेष—		
	अ) अनुसूचित बैंकों के पास—		
	चालू खातों में	-	-
	सावधि जमा खातों में	-	-
	बचत खातों में	48,64,11,080	1,31,32,57,258
	ब) गैर अनुसूचित बैंकों के पास—		
	सावधि जमा खातों में	-	-
	बचत खातों में	-	-
4.	डाकघर—बचत खाते	-	-
	कुल	2,28,86,68,578	3,25,96,34,866

टिप्पणी — संलग्नक (अ) में बैंक खातों का विवरण दर्शाया गया है।

मुख्य लेखाधिकारी
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110 016

सचिव
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 7 — (अ) बैंक खातों का विवरण

	राशि ₹ में	
I. बचत बैंक खाते	चालू वर्ष 2018-19	पिछला वर्ष 2017-18
1. यू.जी.सी. खाते में अनुदान	-	-
2. विश्वविद्यालय प्राप्तिखाता	-	-
3. छात्रवृत्ति खाता	-	-
4. अकादमिक प्राप्तिखाता	-	-
5. विकास (योजना) खाता	-	-
6. संयुक्त प्रवेश परीक्षा (सी.बी.टी.) खाता	-	-
7. यू.जी.सी. योजना अध्येतावृत्ति खाता	-	-
8. समग्र निधि खाता (ई.एम.एफ़.)	-	-
9. प्रायोजित परियोजनाएँ निधि खाता	-	-
10. प्रायोजित अध्येतावृत्ति खाता	-	-
11. अक्षय निधि एवं चेयर खाता (ई.एम.एफ़.)	-	-
12. यू.जी.सी. जे.आर.एफ़. अध्येतावृत्ति (ई.एम.एफ़.)	-	-
13. एच.बी.ए. निधि खाता	-	-
14. वाहन खाता (ई.एम.एफ़.)	-	-
15. यू.जी.सी. राजीव गाँधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (ई.एम.एफ़.)	-	-
16. अकादमिक विकास निधि खाता	-	-
17. जमा खाता	48,64,11,080	1,31,32,57,258
18. विद्यार्थी निधि खाता	-	-
19. विद्यार्थी सहायता निधि खाता	-	-
20. विशिष्ट योजनाओं के लिए योजना अनुदान	-	-
II. चालू खाता	-	-
III. अनुसूचित बैंकों के साथ सावधि जमा	-	-
कुल	48,64,11,080	1,31,32,57,258

मुख्य लेखाधिकारी
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110 016

सचिव
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 8 — ऋण, अग्रिम एवं जमा

राशि ₹ में

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष 2018-19	पिछला वर्ष 2017-18
1.	कर्मचारियों को अग्रिम — (ब्याज रहित)		
	क) वेतन	-	-
	ख) त्यौहार	-	-
	ग) चिकित्सा अग्रिम	-	-
	घ) अन्य	8,29,418	12,40,321
2.	कर्मचारियों को दीर्घावधि अग्रिम (ब्याज सहित) —		
	क) वाहन ऋण	12,26,610	20,31,201
	ख) गृह ऋण	41,35,396	24,21,633
	ग) कंप्यूटर ऋण	29,61,753	34,99,047
3.	नकद अथवा वस्तु में अथवा मूल्य के रूप में प्राप्ति योग्य अग्रिम तथा अन्य धन राशियाँ —		
	क) पूँजीगत खातों पर	-	-
	ख) आपूर्तिकर्ताओं को	-	-
	ग) अन्य	91,73,47,288	22,73,140
4.	पूर्वदत्त व्यय—		
	क) बीमा	1,88,875	58,520
	ख) अन्य व्यय	80,28,345	2,78,11,416
5.	जमा—		
	क) टेलीफोन	-	-
	ख) पट्टा किराया	-	-
	ग) बिजली	-	-
	घ) ए.आई.सी.टी.ई. (लागू नहीं)	-	-
	ड) अन्य	21,25,753	60,12,30,871
6.	प्रोद्भूत आय—		
	क) उद्दिष्ट/अक्षय निधियों से निवेशों पर	-	-
	ख) निवेशों पर अन्य	6,50,38,612	4,84,15,269
	ग) निवेशों पर एसटीडी	11,40,89,174	6,09,48,973
	घ) ऋण एवं अग्रिमों पर	8,37,776	7,01,123
	ड) अन्य (अप्राप्त देय आय शामिल है)	-	35,880
7.	अन्य—यू.जी.सी./प्रायोजित परियोजनाओं से प्राप्त चालू परिसंपत्तियाँ—		
	क) प्रायोजित परियोजनाओं में नामे शेष	4,81,49,588	3,45,95,501
	ख) प्रायोजित अध्येतावृत्तियों एवं छात्रवृत्तियों में नामे शेष	-	(71,21,288)
	ग) प्राप्य अनुदान	-	-
	घ) अन्य प्राप्य	30,93,848	2,95,800
8.	प्राप्य दावे	2,65,81,131	22,65,81,131
	कुल	1,19,46,33,570	1,00,50,18,538

मुख्य लेखाधिकारी
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110 016

सचिव
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 8 (अ) — प्रायोजित परियोजनाओं के संदर्भ में देनदार

राशि ₹ में

क्र. सं.	परियोजना का नाम	प्रायोजक एजेंसी	01.04.2018 को आदि शेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ/वसूलियाँ	वापसी	कुल	वर्ष के दौरान किया गया व्यय	31.03.2019 को अंतः शेष
		1	2	3	4	5 (2+3+4)	6	7 (5-6)
1.	डी.पी.ई.पी. के राष्ट्रीय घटक के लिए रूपरेखा तैयार करने पर कार्यकारी समूह की बैठक	मा.स.वि.मं.	2,193	-	-	2,193	-	2,193
2.	हिंदी में एन.एफ.ई. के लिए अध्यापक शिक्षण सामग्री का विकास (1995-96)	मा.स.वि.मं.	1,91,100	-	-	1,91,100	-	1,91,100
3.	पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई. में अध्यापकों के लिए स्कॉस्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन के लिए वित्तीय सहायता	मा.स.वि.मं.	4,584	-	-	4,584	-	4,584
4.	वर्ष 96-97 के दौरान डी.डी. III फ्रीडम चैनल पर प्रसारित करने के लिए ई.टी.वी. कार्यक्रम का निर्माण (सी.आई.ई.टी.)	मा.स.वि.मं.	4,44,600	-	-	4,44,600	-	4,44,600
5.	सी.आई.ई.टी. के लिए इनसेट कार्यक्रम	मा.स.वि.मं.	2,49,395	-	-	2,49,395	-	2,49,395
	कुल		8,91,872	-	-	8,91,872	-	8,91,872

24

विशिष्ट परियोजना के लिए उपयोग प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अनुदान का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया है, जिसके लिए इसे प्राप्त किया गया और इसके साथ संलग्न शर्तों को भी यथोचित पूरा किया गया है।

मुख्य लेखाधिकारी
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110 016

सचिव
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

ख. आय एवं व्यय लेखा

1/04/2018 से 31/03/2019 तक की अवधि

राशि ₹ में

विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष 2018-19	पिछला वर्ष 2017-18
आय			
अकादमिक प्राप्तियाँ	9	6,93,26,839	3,13,61,495
अनुदान/आर्थिक सहायता	10	3,29,13,17,961	2,69,71,04,407
निवेशों से आय	11	40,76,98,399	30,39,67,885
अर्जित ब्याज	12	4,31,26,106	2,93,37,212
अन्य आय	13	4,11,49,18,075	3,52,61,67,257
पूर्वावधि आय	14	10,05,58,080	10,17,14,551
कुल (अ)		8,02,69,45,460	6,68,96,52,807
व्यय			
स्टॉफ़ भुगतान एवं हितलाभ (स्थापना व्यय)	15	3,49,41,21,257	4,53,02,07,086
अकादमिक व्यय	16	2,66,52,39,965	2,24,46,93,728
प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	17	47,08,42,105	36,51,18,783
परिवहन व्यय	18	22,76,572	1,10,31,433
मरम्मत एवं रख-रखाव	19	19,87,59,586	23,32,65,548
वित्त लागते	20	3,41,136	8,98,085
अन्य व्यय	21	54,34,474	26,43,076
पूर्वावधि व्यय	22	46,76,12,415	2,07,17,003
मूल्यहास	4	6,58,78,647	6,14,85,688
कुल (ब)		7,37,05,06,157	7,47,00,60,429
आय की व्यय से अधिकता (अ-ब) के परिणामस्वरूप		65,64,39,303	(78,04,07,622)
अभिहित निधि में/से हस्तांतरण			
भवन निधि			
अन्य (निर्दिष्ट करें)			
शेष का आधिक्य (घाटा) होने के कारण पूँजीगत		65,64,39,303	(78,04,07,622)
निधि में ले जाया गया			
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	23		
आकस्मिक देयताएँ एवं लेखों पर टिप्पणियाँ	24		

मुख्य लेखाधिकारी
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110 016

सचिव
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 9 — अकादमिक प्राप्तियाँ

राशि ₹ में

	चालू वर्ष 2018-19	पिछला वर्ष 2017-18
विद्यार्थियों से शुल्क		
शैक्षिक		
1. शिक्षा शुल्क	1,39,20,375	1,10,91,843
2. प्रवेश शुल्क	6,74,081	13,69,611
3. नामांकन शुल्क	-	(4,700)
4. पुस्तकालय प्रवेश शुल्क	2,21,720	1,18,470
5. प्रयोगशाला शुल्क	5,52,990	5,01,000
6. कला एवं शिल्प शुल्क	-	-
7. पंजीकरण शुल्क	65,400	-
8. पाठयविवरण शुल्क	26,760	23,760
कुल (क)	1,54,61,326	1,30,99,984
परीक्षाएँ		
1. प्रवेश परीक्षा शुल्क	-	-
2. वार्षिक परीक्षा शुल्क	12,90,000	43,23,800
3. अंक-पत्रक, प्रमाण-पत्र शुल्क	-	-
4. प्रवेश परीक्षा शुल्क	-	-
कुल (ख)	12,90,000	43,23,800
अन्य शुल्क		
1. पहचान-पत्र शुल्क	95,975	74,030
2. जुर्माना/विविध शुल्क/अन्य शुल्क	2,13,95,796	22,82,334
3. चिकित्सा शुल्क	1,69,250	1,04,750
4. परिवहन शुल्क	(47,719)	-
5. कंप्यूटर प्रयोगशाला विकास शुल्क	4,84,900	6,62,800
6. छात्रावास शुल्क	3,21,300	7,56,400
कुल (ग)	2,24,19,502	38,80,314
प्रकाशनों की बिक्री		
1. प्रवेश-पत्रों की बिक्री	3,95,900	2,06,537
2. पाठयविवरण तथा प्रश्न-पत्र आदि की बिक्री	-	-
3. प्रवेश-पत्र सहित विवरण पत्रिका की बिक्री	-	-
कुल (घ)	3,95,900	2,06,537
अन्य अकादमिक प्राप्तियाँ		
1. कार्यशालाएँ, कार्यक्रमों के लिए पंजीकरण शुल्क	-	1,09,850
2. पंजीकरण शुल्क (अकादमिक स्टॉफ़ महाविद्यालय)	-	-
3. विज्ञान किटों का लाइसेंस शुल्क	2,97,60,111	97,41,010
कुल (ङ)	2,97,60,111	98,50,860
कुल योग (क + ख + ग + घ + ङ)	6,93,26,839	3,13,61,495

मुख्य लेखाधिकारी
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110 016

सचिव
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 10 — अनुदान/सहायिकियाँ (प्राप्ति अशोध्य अनुदान) 2018-19

विवरण	योजना		कुल योजना	योजनेत्तर यू.जी.सी./ भारत सरकार	चालू वर्ष कुल 2018-19	पिछला वर्ष कुल 2017-18
	भारत सरकार	यू.जी.सी.				
		योजना	विशिष्ट योजनाएँ			
अग्रानीत शेष	-	-	-	22,62,87,811	22,62,87,811	6,11,79,511
जमा : आंतरिक रसीद	-			62,01,45,588	62,01,45,588	11,10,59,430
जमा : वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	-			-	-	1,25,865
जमा : वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	25,00,00,000	-	-	25,00,00,000	2,58,54,05,000	2,88,71,00,000
कुल	25,00,00,000	-	-	25,00,00,000	3,43,18,38,399	3,68,18,38,399
घटा : यू.जी.सी. भारत सरकार को वापसी	-	-	-	-	-	-
शेष	25,00,00,000	-	-	25,00,00,000	3,43,18,38,399	3,68,18,38,399
घटा : पूँजीगत व्यय के लिए प्रयुक्त (अ)	24,57,23,240	-	-	24,57,23,240	88,55,447	25,45,78,687
शेष	42,76,760	-	-	42,76,760	3,42,29,82,952	3,42,72,59,712
घटा : राजस्व व्यय के लिए प्रयुक्त (ब)	-	-	-	-	3,29,13,17,961	3,29,13,17,961
शेष अग्रानीत (स)	42,76,760	-	-	42,76,760	13,16,64,991	13,59,41,751

अ. वर्ष के दौरान पूँजीगत निधि में परिवर्धन और स्थायी परिसंपत्तियों में परिवर्धन के रूप में दर्शाया गया है।

ब. आय और व्यय लेखा में आय के रूप में दर्शाया गया है।

स. 1) तुलन पत्र में चालू देयताओं के अंतर्गत दर्शाया गया है तथा अगले वर्ष में आदि शेष बन जाएगा।

2) परिसंपत्तियाँ पक्ष में बैंक शेष, निवेशों तथा अग्रिमों द्वारा दर्शाया गया है।

टिप्पणी — राजस्व यू.जी.सी. से अनुदान की राशि भारत सरकार से अनुदान को दर्शाती है।

मुख्य लेखाधिकारी
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110 016

सचिव
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 11 — निवेशों से आय

उद्दिष्ट/अक्षय निधि

अन्य निवेश

राशि ₹ में

क्र. सं.	विवरण		चालू वर्ष 2018-19	पिछला वर्ष 2017-18	चालू वर्ष 2018-19	पिछला वर्ष 2017-18
1.	ब्याज					
	सरकारी प्रतिभूतियों पर		-	-	-	-
	अन्य बंध पत्र/ऋण-पत्र		-	-	-	-
2.	सावधि जमा पर ब्याज					
	दीर्घकालीन		-	-	9,62,92,443	7,71,23,324
	अल्पकालीन		-	-	30,82,11,880	22,59,11,077
3.	आय प्रोद्भूत किंतु देय नहीं					
	सावधि जमा/कर्मचारियों को सब्याज		-	-	-	-
	अग्रिम		-	-	-	-
4.	बचत बैंक खातों पर ब्याज		-	-	-	-
5.	अन्य (निर्दिष्ट करें)					
	ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज		-	-	31,94,076	7,42,521
	बैंक गारंटी पर ब्याज		-	-	-	1,90,963
		कुल	-	-	40,76,98,399	30,39,67,885
	उद्दिष्ट/अक्षय निधि में स्थानान्तरित					
	शेष					

28

मुख्य लेखाधिकारी
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110 016

सचिव
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 12 — अर्जित ब्याज

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष 2018-19	पिछला वर्ष 2017-18
1.	अनुसूचित बैंकों में बचत खातों पर	4,31,26,106	2,93,37,212
2.	ऋणों पर	-	-
	अ) कर्मचारी/स्टॉफ़	-	-
	ब) अन्य	-	-
3.	देनदार तथा अन्य प्राप्यों पर	-	-
	कुल	4,31,26,106	2,93,37,212

मुख्य लेखाधिकारी
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110 016

सचिव
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 13 — अन्य आय

राशि ₹ में

	चालू वर्ष 2018-19	पिछला वर्ष 2017-18
क. भूमि एवं भवन से आय		
1. छात्रावास कक्ष किराया	-	-
2. लाइसेंस शुल्क	-	-
3. सभागार/खेलकूद मैदान/समागम केंद्र आदि का भाड़ा	-	-
4. वसूल किए गए विद्युत प्रभार	-	-
5. वसूल किए गए जल प्रभार	-	-
कुल	-	-
ख. संस्थान के प्रकाशनों की बिक्री	3,67,73,99,779	3,25,36,04,465
कुल	3,67,73,99,779	3,25,36,04,465
ग. आयोजनों से आय	-	-
1. वार्षिक समारोह/खेल उत्सव से सकल प्राप्तियाँ	-	-
घटा - वार्षिक समारोह/खेल उत्सव पर हुआ प्रत्यक्ष व्यय	-	-
2. मेलों से सकल प्राप्तियाँ	-	-
घटा - मेलों पर हुआ प्रत्यक्ष व्यय	-	-
3. शैक्षिक भ्रमणों के लिए सकल प्राप्तियाँ	-	-
घटा - भ्रमणों पर हुआ प्रत्यक्ष व्यय	-	-
4. अन्य (निर्दिष्ट एवं पृथक रूप से दर्शाया जाना है)	-	-
कुल	-	-
घ. अन्य	-	-
1. परामर्शी सेवा से आय	-	-
2. सूचना का अधिकार शुल्क	5,751	14,237
3. रॉयल्टी से आय	31,47,57,562	17,96,87,029
4. विज्ञान किटों की बिक्री	13,57,530	11,66,529
5. विविध प्राप्तियाँ (निविदा फार्म, रद्दी कागज आदि की बिक्री)	8,86,133	9,19,300
6. स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री	-	11,16,470
7. परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ	-	-
क) निजी परिसंपत्तियाँ	(3,47,589)	2,99,797
ख) निशुल्क प्राप्त परिसंपत्तियाँ	-	-
8. संस्थानों, कल्याण निकायों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अनुदान/दान	-	-
9. अन्य—	-	-
संपत्ति पर निवेश से आय	2,16,02,304	1,90,93,022
छुट्टी वेतन एवं पेंशन अंशदान	27,88,229	8,57,062
के.स.स्वा.यो. अंशदान	91,86,248	66,72,878
मृत्यु राहत योजना (डी.आर.एस.)	2,69,960	2,73,530
विविध प्राप्तियाँ	8,70,12,168	6,24,62,938
कुल	43,75,18,296	27,25,62,792
कुल योग (क+ख+ग+घ)	4,11,49,18,075	3,52,61,67,257

मुख्य लेखाधिकारी
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110 016

सचिव
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 14 — पूर्वावधि आय

राशि ₹ में

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष 2018-19	पिछला वर्ष 2017-18
1.	अकादमिक प्राप्तियाँ	-	-
2.	निवेशों से आय	7,60,84,926	-
3.	अर्जित ब्याज	-	-
4.	अन्य आय	2,44,73,154	10,17,14,551
	कुल	10,05,58,080	10,17,14,551

मुख्य लेखाधिकारी
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110 016

सचिव
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 15 — स्टॉफ़ भुगतान एवं हितलाभ (स्थापना व्यय)

राशि ₹ में

विवरण	चालू वर्ष 2018-19			पिछला वर्ष 2017-18		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
क) वेतन और मज़दूरी	-	1,57,63,18,691	1,57,63,18,691	-	1,38,10,00,750	1,38,10,00,750
ख) भत्ते और बोनस	-	10,96,10,806	10,96,10,806	-	7,74,10,901	7,74,10,901
ग) भविष्य निधि में अंशदान	-	-	-	-	-	-
घ) अन्य निधि में अंशदान (निर्दिष्ट करें)	-	3,23,61,093	3,23,61,093	-	2,62,59,640	2,62,59,640
ड) स्टॉफ़ कल्याण व्यय	-	22,76,336	22,76,336	-	25,68,289	25,68,289
च) सेवानिवृत्ति और सेवांत हितलाभ	-	1,74,96,59,129	1,74,96,59,129	-	3,00,16,81,864	3,00,16,81,864
छ) एल.टी.सी. सुविधा (बकाया)	-	-	-	-	-	-
ज) चिकित्सा सुविधा (बकाया)	-	-	-	-	-	-
झ) संतान शिक्षा भत्ता	-	-	-	-	-	-
ञ) मानदेय	-	-	-	-	-	-
ट) अन्य (निर्दिष्ट की जाए)	-	-	-	-	-	-
मृत्यु राहत योजना (डी.आर.एस.)	-	1,84,750	1,84,750	-	2,41,500	2,41,500
के.स.स्वा.यो.	-	2,36,51,352	2,36,51,352	-	4,14,93,600	4,14,93,600
डी.एल.आई.एस.	-	60,000	60,000	-	60,000	60,000
एल.एस.पी.सी.	-	-	-	-	6,63,367	6,63,367
त्यौहार व्यय	-	(900)	(900)	-	(11,72,825)	(11,72,825)
कुल	-	3,49,41,21,257	3,49,41,21,257	-	4,53,02,07,086	4,53,02,07,086

32

मुख्य लेखाधिकारी
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110 016

सचिव
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 15 (अ) — कर्मचारी सेवानिवृत्ति और सेवांत हित-लाभ

राशि ₹ में

विवरण	पेंशन	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	कुल
01.04.2018 को आदि शेष	11,31,29,40,984	2,64,69,65,817	66,96,83,281	14,62,95,90,082
परिवर्धन— अन्य संगठनों से प्राप्त राशि	-	-	-	-
वर्ष के दौरान किए गए समायोजन	2,03,42,58,657	(1,91,65,58,267)	(11,77,00,390)	-
कुल (अ)	13,34,71,99,641	73,04,07,550	55,19,82,891	14,62,95,90,082
घटा : वर्ष (ब) के दौरान वास्तविक भुगतान	1,26,13,35,059	8,40,03,955	4,09,65,693	1,38,63,04,707
31.03.2019 को उपलब्ध शेष स (अ-ब)	12,08,58,64,582	64,64,03,595	51,10,17,198	13,24,32,85,375
बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार 31.03.2019 को अपेक्षित प्रावधान (द)	13,57,37,94,491	70,93,23,321	60,93,78,268	14,89,24,96,080
क. चालू वर्ष 2018-19 में किया जाने वाला प्रावधान (द-स)	1,48,79,29,909	6,29,19,726	9,83,61,070	1,64,92,10,705
ख. नयी पेंशन योजना में अंशदान	-	-	-	-
ग. सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	-	-	-	-
घ. सेवानिवृत्ति पर मूलनिवास स्थान को यात्रा	-	-	-	-
ड. जमा लिंक बीमा भुगतान	-	-	-	-
कुल (क+ख+ग+घ)	1,48,79,29,909	6,29,19,726	9,83,61,070	1,64,92,10,705

टिप्पणी—

1. इस उप-अनुसूची का योग (क+ख+ग+घ) अनुसूची 15 में सेवानिवृत्ति तथा सेवांत हितलाभ की राशि के रूप में दर्शाया जाएगा।
2. मदें ख, ग, घ एवं ड का प्रोदभवन आधार पर लेखा किया जाएगा तथा इसमें 31/3/2019 को अधिमन्य किंतु भुगतान के लिए बकाया बिल शामिल होंगे।

मुख्य लेखाधिकारी
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110 016

सचिव
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 16 — अकादमिक व्यय

राशि ₹ में

	विवरण	चालू वर्ष 2018-19			पिछला वर्ष 2017-18		
		पूंजी	राजस्व	कुल	पूंजी	राजस्व	कुल
क.	प्रयोगशाला व्यय	-	3,91,908	3,91,908	-	4,28,900	4,28,900
ख.	क्षेत्र कार्य/सम्मेलनों में प्रतिभागिता	-	-	-	-	-	-
ग.	सम्मेलनों/ कार्यशालाओं पर व्यय	-	36,97,34,787	36,97,34,787	28,94,69,348	1,10,77,592	30,05,46,940
घ.	विजिटिंग फैकल्टी को भुगतान	-	-	-	-	-	-
ड.	परीक्षा	-	-	-	-	-	-
च.	विद्यार्थी कल्याण व्यय	-	47,49,474	47,49,474	-	10,39,203	10,39,203
छ.	प्रवेश व्यय	-	-	-	-	-	-
ज.	दीक्षांत समारोह व्यय	-	-	-	-	-	-
झ.	प्रकाशन*	-	2,27,36,24,648	2,27,36,24,648	-	1,91,59,93,746	1,91,59,93,746
ञ.	अध्येतावृत्ति/साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति	-	81,23,577	81,23,577	-	83,56,784	83,56,784
ट.	अभिदान व्यय	-	-	-	-	-	-
ठ.	अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	86,15,571	86,15,571	-	1,83,28,155	1,83,28,155
	कुल	-	2,66,52,39,965	2,66,52,39,965	28,94,69,348	1,95,52,24,380	2,24,46,93,728

*प्रकाशन में विज्ञान किटों के स्टॉक में बढ़ोतरी शामिल है।

मुख्य लेखाधिकारी
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110 016

सचिव
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 17 — प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय

राशि ₹ में

	चालू वर्ष 2018-19			पिछला वर्ष 2017-18		
	योजना	योजनेत्तर	कुल	योजना	योजनेत्तर	कुल
अ. अवसंरचना						
क) विद्युत एवं बिजली		86,23,561	86,23,561		86,92,320	86,92,320
ख) जल प्रभार		9,02,26,754	9,02,26,754		5,70,09,880	5,70,09,880
ग) बीमा		-	-		-	-
घ) किराया, दरें एवं कर (संपत्ति कर सहित)		12,82,18,563	12,82,18,563		7,73,80,983	7,73,80,983
ब. संप्रेषण						
ड) डाक एवं लेखन सामग्री		74,72,664	74,72,664		98,19,815	98,19,815
च) टेलीफोन, फ़ैक्स तथा इंटरनेट प्रभार		47,48,432	47,48,432		30,05,718	30,05,718
स. अन्य						
छ) मुद्रण एवं लेखन सामग्री (उपभोग)		47,503	47,503		7,19,822	7,19,822
ज) यात्रा एवं वाहन व्यय		5,96,698	5,96,698		1,89,855	1,89,855
झ) आतिथ्य		1,18,838	1,18,838		1,37,257	1,37,257
ञ) लेखापरीक्षक पारिश्रमिक		5,96,238	5,96,238		6,42,485	6,42,485
ट) संव्यावसायिक प्रभार		10,14,737	10,14,737		24,10,868	24,10,868
ठ) विज्ञापन एवं प्रचार		73,02,429	73,02,429		88,34,103	88,34,103
ड) पत्रिकाएँ एवं दैनिकी		-	-		10,49,416	10,49,416
ढ) कार्यालय व्यय		6,40,65,520	6,40,65,520		-	-
ण) अन्य		15,78,10,167	15,78,10,167		19,52,26,262	19,52,26,262
कुल	-	47,08,42,105	47,08,42,105	-	36,51,18,783	36,51,18,783

मुख्य लेखाधिकारी
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110 016

सचिव
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 18— परिवहन व्यय

राशि ₹ में

विवरण	चालू वर्ष 2018-19			पिछला वर्ष 2017-18		
	पूंजी	राजस्व	कुल	पूंजी	राजस्व	कुल
1. वाहन (संस्था के स्वामित्व में)						
अ) संचालन व्यय	-	6,87,038	6,87,038	-	5,71,914	5,71,914
ब) मरम्मत एवं रख-रखाव	-	11,18,074	11,18,074	-	9,08,989	9,08,989
स) बीमा व्यय	-	-	-	-	-	-
2. किराए/पट्टे पर लिए गए वाहन						
अ) किराया/पट्टा व्यय	-					
3. वाहन (टैक्सी) भाड़ा व्यय	-	4,71,460	4,71,460	-	95,50,530	95,50,530
कुल	-	22,76,572	22,76,572	-	1,10,31,433	1,10,31,433

36

मुख्य लेखाधिकारी
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110 016

सचिव
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 19 — मरम्मत एवं रख-रखाव

राशि ₹ में

विवरण	चालू वर्ष 2018-19			पिछला वर्ष 2017-18		
	पूँजी	राजस्व	कुल	पूँजी	राजस्व	कुल
क) भवन		18,34,94,726	18,34,94,726		22,48,81,820	22,48,81,820
ख) फर्नीचर एवं जुड़नार		1,08,43,714	1,08,43,714		83,83,728	83,83,728
ग) पूँजी एवं मशीनरी		-	-		-	-
घ) कार्यालय उपकरण		-	-		-	-
ङ) कंप्यूटर्स		-	-		-	-
च) प्रयोगशाला एवं वैज्ञानिक उपस्कर		-	-		-	-
छ) श्रव्य-दृश्य उपस्कर		-	-		-	-
ज) सफ़ाई सामग्री एवं सेवा		-	-		-	-
झ) पुस्तक जिल्दसाजी प्रभार		-	-		-	-
ञ) बागवानी		-	-		-	-
ट) संपदा रख-रखाव		-	-		-	-
ठ) अन्य (निर्दिष्ट करें)		44,21,146	44,21,146		-	-
कुल	-	19,87,59,586	19,87,59,586	-	23,32,65,548	23,32,65,548

37

मुख्य लेखाधिकारी
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110 016

सचिव
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 20 — वित्तीय लागत

राशि ₹ में

विवरण	चालू वर्ष 2018-19			पिछला वर्ष 2017-18		
	पूंजी	राजस्व	कुल	पूंजी	राजस्व	कुल
क) बैंक प्रभार	-	3,41,136	3,41,136	-	8,98,085	8,98,085
ख) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-
कुल	-	3,41,136	3,41,136	-	8,98,085	8,98,085

टिप्पणी —

यदि राशि महत्वपूर्ण नहीं हो तो बैंक प्रभार के शीर्ष को हटाया जा सकता है और इनकी अनुसूची 17 में प्रशासनिक व्यय में गणना की जा सकती है।

38

मुख्य लेखाधिकारी
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110 016

सचिव
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 21 — अन्य व्यय

राशि ₹ में

विवरण	चालू वर्ष 2018-19			पिछला वर्ष 2017-18		
	पूंजी	राजस्व	कुल	पूंजी	राजस्व	कुल
क) अशोध्य और संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	-	-	-	-	-
ख) अवसूलीय शेष बट्टे खाते डाले गए	-	54,34,474	54,34,474	-	-	-
ग) स्थायी परिसंपत्तियाँ बट्टे खाते डाली गयी	-	-	-	26,43,076	-	26,43,076
घ) अन्य संस्थानों/संगठनों को अनुदान/आर्थिक सहायता	-	-	-	-	-	-
ड) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-
कुल	-	54,34,474	54,34,474	26,43,076	-	26,43,076

मुख्य लेखाधिकारी
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110 016

सचिव
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 22 — पूर्वावधि व्यय

राशि ₹ में

विवरण	चालू वर्ष 2018-19			पिछला वर्ष 2017-18		
	पूँजी	राजस्व	कुल	पूँजी	राजस्व	कुल
1. स्थापना व्यय	-	26,48,10,280	26,48,10,280	-	-	-
2. अकादमिक व्यय	-	-	-	-	-	-
3. प्रशासनिक व्यय	-	-	-	-	-	-
4. परिवहन व्यय	-	-	-	-	-	-
5. मरम्मत एवं रख-रखाव	-	-	-	-	-	-
6. कार्यक्रम व्यय	-	-	-	1,15,30,986	-	1,15,30,986
7. अन्य व्यय	-	20,28,02,135	20,28,02,135	91,86,017	-	91,86,017
कुल	-	46,76,12,415	46,76,12,415	2,07,17,003	-	2,07,17,003

40

मुख्य लेखाधिकारी
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110 016

सचिव
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

ग. प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

31.03.2019 को समाप्त वर्ष हेतु

राशि ₹ में

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष 2018-19	पिछला वर्ष 2017-18	भुगतान	चालू वर्ष 2018-19	पिछला वर्ष 2017-18
1. आदि शेष			1. व्यय		
अ) नकद शेष			क) स्थापना व्यय	2,09,49,94,442	1,61,28,38,486
ब) बैंक शेष			ख) अकादमिक व्यय	2,04,73,94,157	2,40,60,88,363
(i) चालू खातों में			ग) प्रशासनिक व्यय	1,49,66,50,374	1,33,78,05,752
(ii) जमा खातों में			घ) परिवहन व्यय	1,33,03,165	1,24,28,616
(iii) बचत खातों में	1,31,32,57,258	82,73,51,610	ङ) मरम्मत एवं रख-रखाव व्यय	32,04,44,093	33,54,98,499
			च) पूर्व अवधि व्यय	-	1,15,30,986
2. प्राप्त अनुदान					
अ) भारत सरकार से	2,83,54,05,000	2,88,71,00,000	2. उद्दिष्ट/अक्षय निधि के लिए भुगतान	-	-
ब) भारत की राज्य सरकार से					
स) अन्य स्रोतों से (यू.एन.एफ.पी.ए./ ए.ई.पी. से प्रतिपूर्ति की गई राशि)	5,20,449	75,03,704	3. प्रायोजित परियोजनाओं/ योजनाओं के लिए भुगतान	19,57,37,366	16,22,84,295
(पूँजीगत एवं राजस्व व्यय के लिए अनुदान/यदि उपलब्ध हो तो पृथक दर्शाया जाएगा)					

			4. प्रायोजित अध्येतावृत्तियों/छात्रवृत्तियों के लिए भुगतान	81,23,577	83,56,784
3. अकादमिक प्राप्तियाँ	6,92,80,639	2,16,13,285			
			5. किए गए निवेश और जमा—		
4. उद्दिष्ट/अक्षय निधि के लिए प्राप्तियाँ	-	-	अ) उद्दिष्ट/अक्षय निधियों	-	-
			ब) स्व निधि से (निवेश-अन्य)	-	-
5. प्रायोजित परियोजनाओं/ योजनाओं के लिए प्राप्तियाँ	19,36,90,405	22,42,33,411			
			6. अनुसूचित बैंकों में सावधि जमा	6,71,87,30,830	5,56,00,00,000
6. प्रायोजित अध्येतावृत्तियों तथा छात्रवृत्तियों की प्राप्तियाँ	-	-			
			7. स्थायी परिसंपत्तियों और चालू कार्य पूँजी पर व्यय—		-
7. निवेश पर आय—			अ) स्थायी परिसंपत्तियाँ	27,63,86,685	18,58,01,862
अ) उद्दिष्ट/अक्षय निधि	-	-	ब) चालू कार्य पूँजी	-	-
ब) अन्य निवेश	7,96,69,100	8,56,22,301			
			8. सांविधिक भुगतानों सहित अन्य भुगतान	64,43,18,817	56,52,35,459
8. निम्नवत् पर प्राप्त ब्याज					

अ) बैंक जमा	25,50,71,679	27,65,90,548	9. अनुदानों की वापसी		-
ब) ऋण और अग्रिम	30,93,303	28,14,228			
स) बचत बैंक खाते	4,31,26,106	2,93,37,212	10. जमा और अग्रिम	66,37,365	5,14,10,227
द) बैंक गारंटी	-	1,90,963			
9. नकदीकृत निवेश	-	-	11. अन्य भुगतान	6,59,11,74,611	4,16,80,79,014
10. अनुसूचित बैंकों में सावधि जमा नकदीकृत	5,41,37,30,830	5,39,68,00,000	12. अंतः शेष—		
			अ) हस्तगत नकद	-	-
11. अन्य आय (पूर्व अवधि आय सहित)	3,40,01,19,766	3,07,05,54,189	ब) बैंक शेष	-	-
			चालू खाते में	-	-
12. जमा और अग्रिम	88,54,574	4,76,40,195	बचत खाते में	48,64,11,080	1,31,32,57,258
			जमा खाते में	-	-
13. विविध प्राप्तियाँ सांविधिक प्राप्तियों सहित	57,93,91,422	68,51,84,940			
14. कोई अन्य प्राप्तियाँ	6,70,50,96,031	4,16,80,79,014			
कुल	20,90,03,06,562	17,73,06,15,600	कुल	20,90,03,06,562	17,73,06,15,600

मुख्य लेखाधिकारी
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110016

सचिव
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
घ. तुलन पत्र — सामान्य भविष्य निधि लेखा
31 मार्च 2019

देयताएँ	चालू वर्ष 2018-19	पिछला वर्ष 2017-18	परिसंपत्तियाँ	चालू वर्ष 2018-19	पिछला वर्ष 2017-18
सा.भ.नि. आदि शेष	1,27,12,94,513	1,19,13,60,958	निवेश	1,32,93,02,306	1,22,43,02,306
जमा : वर्ष में अभिदान	24,27,71,945	21,20,31,049	31.03.2019 को प्रोद्भूत ब्याज	6,50,38,612	4,84,15,269
जमा : जमा किया गया ब्याज	10,03,94,719	9,08,28,456			
घटा : अग्रिम/निकासी	(20,62,29,612)	(22,29,25,950)			
अंत: शेष	1,40,82,31,565	1,27,12,94,513			
अ.भ.नि. आदि शेष	48,05,070	30,63,694	बैंक में नकद राशि	4,62,00,149	3,95,13,227
जमा : वर्ष में अभिदान	(15,31,198)	17,58,592	बैंक में शेष		
जमा : जमा किया गया ब्याज	53,705	2,82,784			
घटा : अग्रिम/निकासी	(29,93,313)	(3,00,000)			
घटा: परिषद के लेखा में अंतरित	-				
अंत: शेष	3,34,264	48,05,070			
अधिशेष/(घाटा)—					
आदि शेष	3,61,31,219	5,01,19,135			
घटा : आय से व्यय की अधिकता	(41,55,981)	(1,39,87,916)			
जमा : आय की व्यय से अधिकता	-	-			
अंत: शेष	3,19,75,238	3,61,31,219			
कुल	1,44,05,41,067	1,31,22,30,802	कुल	1,44,05,41,067	1,31,22,30,802

मुख्य लेखाधिकारी
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110016

सचिव
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
ड सामान्य भविष्य निधि लेखा — आय एवं व्यय लेखा

31.03.2019 को समाप्त वर्ष

राशि ₹ में

व्यय	चालू वर्ष 2018-19	पिछला वर्ष 2017-18	आय	चालू वर्ष 2018-19	पिछला वर्ष 2017-18
जमा ब्याज			निवेश पर अर्जित ब्याज	7,96,69,100	8,56,22,301
सा.भ.नि. खाता	10,03,94,719	9,08,28,456	जमा : मार्च 2018 तक प्रोद्भूत ब्याज	6,50,38,612	4,84,15,269
अ.भ.नि. खाता	24,795	1,04,536	घटा : पिछले वर्षों का प्रोद्भूत ब्याज	(4,84,15,269)	(5,69,14,246)
परिषद् का योगदान (अ.भ.नि.)	28,910	1,78,248			
			व्यय की आय से अधिकता	41,55,981	1,39,87,916
कुल	10,04,48,424	9,11,11,240	कुल	10,04,48,424	9,11,11,240

मुख्य लेखाधिकारी
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110016

सचिव
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
च. सामान्य भविष्य निधि लेखा — प्राप्ति एवं भुगतान लेखा
वित्तीय वर्ष 2018-19

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष 2018-19	पिछला वर्ष 2017-18	भुगतान	चालू वर्ष 2018-19	पिछला वर्ष 2017-18
01.04.2018 को आदि शेष	3,95,13,227	12,33,27,235	सा.भ.नि. अग्रिम निकासी	20,62,29,612	22,29,25,950
सा.भ.नि. अभिदान	24,27,71,945	21,20,31,049	अ.भ.नि. अग्रिम निकासी	29,93,313	3,00,000
अ.भ.नि. अभिदान	(15,31,198)	17,58,592	वर्ष के दौरान किए गए निवेश	57,50,00,000	66,00,00,000
निवेश नकदीकृत	47,00,00,000	50,00,00,000	अंत शेष:		
प्राप्त ब्याज	7,96,69,100	8,56,22,301	बचत खाता	4,62,00,149	3,95,13,227
कुल	83,04,23,074	92,27,39,177	कुल	83,04,23,074	92,27,39,177

46

मुख्य लेखाधिकारी
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110016

सचिव
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

छ. नयी पेंशन योजना — तुलन पत्र

31 मार्च 2019

देयताएँ	चालू वर्ष 2018-19	पिछला वर्ष 2017-18	परिसंपत्तियाँ	चालू वर्ष 2018-19	पिछला वर्ष 2017-18
एन.पी.एस. निधि— निजी अंश	57,67,249	24,49,118	अंत शेष— हाथ में नकदी	-	
परिषद् अंश	64,29,611	32,12,700	बैंक में नकदी	1,12,94,131	56,98,439
प्राप्त ब्याज	-	(1,27,028)	निवेश—		
जमा : चालू वर्ष का ब्याज	-	2,86,313	आदि शेष	33,28,466	31,05,686
			जमा : चालू वर्ष में किए गए	37,22,780	37,22,780
			घटा : वर्ष के दौरान परिपक्व	(37,22,780)	(35,00,000)
चंद्र शेखर को भुगतान की जाने वाली राशि “गैर-प्रान अंशदाताओं के संबंध में भुगतान की जाने वाली राशि”	6,718	6,718	जमा : वर्ष के लिए प्रोद्भूत ब्याज	56,402	73,094
वर्ष 2016-17 के लिए					
वर्ष 2017-18 के लिए		30,02,812			
वर्ष 2018-19 के लिए	15,90,236	-			
आय की व्यय से अधिकता आय (2016-17)	1,59,285		प्राप्त किया जाने वाला अभिदान (2016-2017)		
आय की व्यय से अधिकता आय (2017-18)	3,12,072	3,12,072	निजी अंश	15,975	15,975
आय की व्यय से अधिकता आय (2018-19)	4,38,455		परिषद् अंश	15,975	15,975
(2017-18) एकल अंश से संबंधित प्राप्त प्राप्तियाँ (2018-19)	13,805		प्राप्त किया जाने वाला अभिदान (2015-2016)		
			निजी अंश	5,378	5,378
प्रकाशन द्वारा सूचित बकाया राशि (विविध लेखाशीर्ष एकल अंश के अंतर्गत उनके खाते में गलती से लिया गया)	4,274		परिषद् अंश	5,378	5,378
कुल	1,47,21,705	91,42,705	कुल	1,47,21,705	91,42,705

मुख्य लेखाधिकारी
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110016

सचिव
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
ज. नयी पेंशन योजना — आय एवं व्यय लेखा
31 मार्च 2019 को तुलन पत्र

व्यय	चालू वर्ष 2018-19	पिछला वर्ष 2017-18	आय	चालू वर्ष 2018-19	पिछला वर्ष 2017-18
श्री एस.एन. गुर्जर तथा सुश्री नीतू वर्मा के संबंध में एन.एस.डी.एल. को किया गया भुगतान	-	4,064	अर्जित ब्याज एफ.डी.आर.	2,14,140	2,22,780
			बचत बैंक जमा : वर्ष के लिए प्रोदभूत ब्याज	2,41,007	95,678
आय की व्यय से अधिकता	4,38,455	3,12,072	टी.डी.आर. 1	56,402	73,094
			घटा : पिछले वर्ष के लिए प्रोदभूत ब्याज	(73,094)	(75,416)
कुल	4,38,455	3,16,136	कुल	4,38,455	3,16,136

48

मुख्य लेखाधिकारी
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110016

सचिव
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
 झ. नयी पेंशन योजना — प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

31 मार्च 2019 को तुलन पत्र

राशि ₹ में

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष 2018-19	पिछला वर्ष 2017-18	भुगतान	चालू वर्ष 2018-19	पिछला वर्ष 2017-18
आदि शेष—			एन.एस.डी.एल. को भेजा गया भुगतान		
हाथ रोकड़	-	-	निजी अंश	2,91,51,676	2,62,22,582
बैंक में रोकड़	56,98,439	25,97,295	परिषद् अंश	2,91,51,676	2,62,53,651
अभिदान			हरि नारायण के संबंध में एन.एस. डी.एल. को दिए गए अन्य अभिदान		
निजी अंश	3,24,69,807	2,62,21,304	ए.आई.सी.टी.ई. अंश	-	37,058
परिषद् अंश	3,23,68,587	2,62,54,929	परिषद् अंश	-	12,960
			निधि तिवारी के लिए बनाए गए दो चैक	21,31,507	-
हरि नारायण के संबंध में ए.आई.सी.टी.ई. तथा परिषद् से प्राप्त अभिदान					
ए.आई.सी.टी.ई. अंश		37,058			
परिषद् अंश		12,960	एस.एन. गुर्जर तथा नीतू वर्मा के संबंध में	-	4,064
चन्द्र शेखर को भुगतान की जाने वाली राशि		6,718	(I) वित्त वर्ष 2017-18 से संबंधित गैर-पी.आर.ए.एन. राशियाँ	5,81,480	
			(II) वित्त वर्ष 2017-18 से संबंधित गैर-पी.आर.ए.एन. राशियाँ	8,31,096	
			अंत: शेष—		

मुख्यालय तथा प्रकाशन के 7 वें केंद्रीय वेतन आयोग की पी.आर.ए.एन.-बकाया राशि		30,02,812	हाथ रोकड़		
			बैंक में रोकड़	1,12,94,131	56,98,439
निजी अंश					
परिषद् अंश					
बचत बैंक खाते पर ब्याज	2,41,007	95,678			
एस.टी.डी.आर. पर ब्याज	2,14,140				
निधि तिवारी के संबंध में पुरानी पेंशन में बदलने के लिए आदेश के कारण एन.एस.डी.एल. से दोनों अंशों से प्राप्त प्रतिदाय	21,31,507				
वर्ष 2017-18 से संबंधित प्राप्त कार्मिक अंश (एकल अंश)	13,805				
प्रकाशन द्वारा सूचित बकाया राशि (विविध लेखाशीर्ष एकल अंश के अंतर्गत उनके खाते में गलती से लिया गया)	4,274				
वर्ष की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त अनुसूचियाँ		11,735	वर्ष की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त अनुसूचियाँ		11,735
		2,070			2,070
		747			747
		4,140			4,140
		2,070			2,070
कुल	7,31,41,566	5,82,49,516	कुल	7,31,41,566	5,82,49,516

मुख्य लेखाधिकारी
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110016

सचिव
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 23 — ज. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए

1. लेखा प्रस्तुति के लिए आधार

लेखा को परंपरागत लागत की परिपाटी और सामान्यतः लेखा की प्रोद्भवन प्रणाली के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है, जब तब कि अन्यथा नहीं कहा गया हो।

2. राजस्व मान्यता

- 2.1 विद्यार्थियों से शुल्क (शिक्षा शुल्क के अलावा), प्रवेश प्रपत्रों की बिक्री, रॉयल्टी और बचत खाते पर ब्याज का लेखाकरण नकद आधार पर किया जाता है। प्रत्येक सेमेस्टर के लिए अलग से प्राप्त, शिक्षा शुल्क का लेखाकरण प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है।
- 2.2 भूमि, भवन और अन्य संपत्ति से आय तथा निवेश पर ब्याज का लेखाकरण प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है।
- 2.3 गृह निर्माण, वाहन एवं कंप्यूटर खरीद के लिए स्टॉफ़ को ब्याज पर दिए गए अग्रिम पर ब्याज का लेखाकरण प्रत्येक वर्ष प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है, यद्यपि ब्याज की वास्तविक वसूली मूलधन के पूर्ण पुनर्भुगतान के पश्चात आरंभ होती है।
- 2.4 पुस्तकों/विज्ञान किटों/श्रव्य और दृश्य सी.डी. से राजस्व का लेखाकरण बिक्री आय, छूट तथा व्यापारिक बट्टे के निवल पर किया जाता है।

3. स्थायी परिसंपत्तियाँ और मूल्यहास

- 3.1 स्थायी परिसंपत्तियों को अर्जन की लागत पर दर्शाया गया है जिसमें आवक मालभाड़ा, शुल्क और कर तथा अर्जन, संस्थापन और प्रवर्तन से संबंधित प्रासंगिक और प्रत्यक्ष व्यय शामिल हैं।
- 3.2 उपहार/दान स्वरूप परिसंपत्तियों को, जहाँ उपलब्ध हो घोषित मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है, घोषित मूल्य उपलब्ध न होने पर परिसंपत्ति की भौतिक स्थिति के संदर्भ में वर्तमान बाजार मूल्य पर आधारित समायोजन से अनुमानित किया जाता है। इन्हें पूंजीगत निधि से जमा पर स्थापित किया जाता है और संस्था की स्थायी परिसंपत्तियों में विलय किया जाता है। संबंधित परिसंपत्तियों पर मूल्यहास लागू दर से प्रभारित किया गया है।
- 3.3 स्थायी परिसंपत्तियों को लागत से संचित मूल्यहास घटाकर मूल्यांकित किया जाता है। स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान सीधी कटौती प्रणाली पर निम्नवत दरों पर किया जाता है—

मूर्त परिसंपत्तियाँ—

1. भूमि	0%
2. स्थल का विकास	0%
3. भवन	2%
4. सड़कें एवं पुल	2%
5. नलकूप एवं जलापूर्ति	2%
6. सीवर एवं जल निकास व्यवस्था	2%
7. विद्युतकीय संस्थापन एवं उपकरण	5%
8. संयंत्र और मशीन	5%

9. वैज्ञानिक एवं प्रयोगशाला उपकरण	8%
10. कार्यालय उपकरण	7.5%
11. श्रव्य-दृश्य उपकरण	7.5%
12. कंप्यूटर एवं सहायक उपकरण	20%
13. फर्नीचर, जुड़नार एवं साज-सज्जा	7.5%
14. वाहन	10%
15. पुस्तकालय की पुस्तकें एवं वैज्ञानिक पत्रिकाएँ	10%

अमूर्त परिसंपत्तियाँ (परिशोधन)

1. ई-पत्रिकाएँ 40%
2. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 40%
3. पेटेन्ट एवं प्रकाशनाधिकार 9 वर्ष
- 3.4 वर्ष के दौरान जोड़ी गई एवं हटाई गई परिसंपत्तियों पर मूल्यहास पूर्ण वर्ष के लिए लगाया जाता है।
- 3.5 जब किसी परिसंपत्ति का पूर्णतया मूल्यहास होता है तो इसको तुलन पत्र में ₹ 1 के अवशिष्ट मूल्य पर रखा जाएगा और इसके आगे इसका मूल्यहास नहीं किया जाएगा। तत्पश्चात प्रत्येक वर्ष के लिए अतिरिक्त परिवर्धन पर मूल्यहास की गणना अलग से उस परिसंपत्ति शीर्ष पर लागू मूल्यहास की दर पर की जाती है।
- 3.6 उद्दिष्ट निधियों और प्रायोजित परियोजनाओं की निधियों से सृजित परिसंपत्तियाँ, जहाँ ऐसी परिसंपत्तियों का स्वामित्व संस्था में निहित है, पूंजीगत निधि से जमा पर स्थापित की जाती हैं और संस्था की स्थायी परिसंपत्तियों में इनका विलय कर दिया जाता है। मूल्यहास संबंधित परिसंपत्तियों पर लागू दरों पर लगाया जाता है।
- 3.7 जिन परिसंपत्तियों में प्रत्येक का मूल्य ₹ 2000.00 या कम है (पुस्तकालय पुस्तकों के अलावा) उनको लघु मूल्य परिसंपत्तियों माना जाता है, ऐसी परिसंपत्तियों के लिए उनके अर्जन के समय 100% मूल्यहास लगाया जाता है। तथापि ऐसी परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष लेखाकरण और नियंत्रण इनके धारकों द्वारा किया जाता है।

4. अमूर्त परिसंपत्तियाँ

पेटेन्ट एवं प्रकाशनाधिकार, ई-पत्रिकाएँ और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को अमूर्त परिसंपत्तियों के समूह में रखा गया है—

- 4.1 पेटेन्ट— पेटेन्ट प्राप्त करने के लिए समय-समय पर किए गए खर्च (आवेदन शुल्क, कानूनी खर्च आदि) का अस्थायीतौर पर पूंजीकरण कर दिया जाता है जो तुलन पत्र में अमूर्त परिसंपत्तियों के भाग के रूप में दर्शाया जाता है। यदि पेटेन्ट के लिए आवेदन अस्वीकार होते हैं तो पेटेन्ट विशेष पर किए गए संचयी खर्च को आवेदन के अस्वीकार किए गए वर्ष के आय और व्यय लेखा के बट्टे खाते डाला जाएगा। प्रदत्त पेटेन्टों पर किए गए खर्च को परिमित आधार पर 9 वर्ष की अवधि में बट्टे खाते डाला जाएगा।
- 4.2 इलैक्ट्रॉनिक पत्रिकाएँ— ई-पत्रिकाओं को इस दृष्टि से पुस्तकालय की पुस्तकों से अलग किया गया है क्योंकि उनको ऑनलाइन उपलब्ध करवाने से सीमित लाभ प्राप्त किए जा सकते थे। ई-पत्रिकाएँ मूर्त रूप में नहीं हैं परन्तु अस्थायी रूप से पूंजीकृत हैं और अकादमिक तथा अनुसंधान स्टॉफ़ द्वारा अर्जन किए गए निरंतर ज्ञान के संबंध में खर्च की मात्रा और प्राप्त लाभ को दृष्टिगत रखते हुए ई-पत्रिकाओं पर मूल्यहास 40% की उच्चतर दर से लगाया गया जो कि पुस्तकालय की पुस्तकों पर लगाए जाने वाले मूल्यहास के प्रावधान 10% से अधिक है।
- 4.3 सॉफ्टवेयर के अधिग्रहण पर खर्च को कंप्यूटरों और सहायक उपकरणों से अलग किया गया है क्योंकि अमूर्त परिसंपत्तियाँ होने के अलावा इनके संबंध में अप्रचलन की दर बहुत अधिक है। सॉफ्टवेयर के संबंध में दी गई मूल्यहास की 40% उच्चतर दर कंप्यूटरों एवं सहायक उपकरणों के मूल्यहास पर लगाए जाने वाले मूल्यहास के प्रावधान 20% की दर से अधिक लगाई गई है।

5. सेवानिवृत्ति हितलाभ

सेवानिवृत्ति हितलाभ अर्थात् पेंशन, उपदान और छुट्टी का नकदीकरण बीमांकित मूल्य आधार पर प्रदान किए जाते हैं। संस्था में आमेलित कार्मिकों के पूर्व नियोक्ताओं से प्राप्त पेंशन और उपदान के पूंजीकृत मूल्य को संबंधित प्रावधान लेखा में जमा किया जाता है। प्रतिनियुक्ति पर कार्मिकों के लिए प्राप्त पेंशन अंशदान को भी पेंशन लेखा के प्रावधान में जमा किया जाता है। पेंशन, उपदान और छुट्टी के नकदीकरण के वास्तविक भुगतान को संबंधित प्रावधानों के लेखा में नामे डाला जाता है। अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ जैसे जमा लिंक बीमा, नई पेंशन योजना में अंशदान, सेवानिवृत्ति कार्मिकों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति और सेवानिवृत्ति पर मूल निवास स्थान को यात्रा का लेखाकरण प्रोद्भवन (वास्तविक भुगतान जमा वर्ष के अंत में बकाया बिल) आधार पर किया जाता है।

6. निवेश

- 6.1 दीर्घावधि निवेश उनकी लागत या अंकित मूल्य में से जो भी कम हो उस पर रखे जाते हैं। तथापि तुलन पत्र की तारीख को उनके मूल्य में किसी स्थायीहास के लिए प्रावधान किया जाता है।
- 6.2 अल्पावधि निवेश उनकी लागत या बाजार मूल्य (यदि उद्धृत किया गया है) में से जो भी कम हो उस पर रखे जाते हैं।

7. उद्दिष्ट/अक्षय निधियाँ

- 7.1 पूंजीगत निधि— प्रारंभ से ही अर्थात् 1961 से सहायता अनुदान मा.सं.वि.मं. से वर्षानुवर्ष आधार पर प्राप्त होते हैं जिसमें से राजस्व/पूंजीगत प्रकार का खर्च किया जाता है। प्राप्त सहायता अनुदान से सृजित परिसंपत्तियों को परिषद् की पूंजीगत निधि में जमा के द्वारा संस्थान की परिसंपत्तियों में डाला गया और संस्थागत व्यय के रूप में किए गए राजस्व व्यय को आय में विलय करके इसे आय एवं व्यय लेखा में प्रभारित किया जाता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में, संस्था प्रत्येक शीर्ष/उपशीर्ष के अंतर्गत उपयोग किए गए सहायता अनुदान के संबंध में उपयोज्यता प्रमाण पत्र सरकार को प्रस्तुत करती है।
- 7.2 भविष्य निधि/नई पेंशन योजना में शेष को आगे ले जाया जाता है और इसे बैंक, निवेश तथा प्रोद्भूत ब्याज के शेष में परिसंपत्तियाँ शीर्ष में प्रस्तुत किया जाता है।

8. सरकारी अनुदान

- 8.1 सरकारी अनुदानों का लेखाकरण नकदीकरण आधार पर किया जाता है। तथापि जब वित्तीय वर्ष से संबंधित अनुदान जारी करने के लिए संस्वीकृति 31 मार्च से पूर्व प्राप्त होती है परन्तु अनुदान की राशि वास्तव में अगले वित्त वर्ष में प्राप्त होती है तो इस अनुदान का लेखाकरण प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है और इसके समान राशि को अनुदानकर्ता से वसूली योग्य राशि के रूप में दर्शाया जाता है।
- 8.2 पूंजीगत व्यय (प्रोद्भवन आधार पर) के लिए उपयोग की गई मात्रा तक सरकारी अनुदानों को पूंजीगत निधि में स्थानांतरित कर दिया जाता है।
- 8.3 राजस्व व्यय (प्रोद्भवन आधार पर) को पूरा करने के लिए उपयोग की गई मात्रा तक के सरकारी अनुदानों को उस वर्ष की आय माना जाता है जिसमें वे नकदीकृत हुए।
- 8.4 अप्रयुक्त अनुदानों (ऐसे अनुदानों से दिए गए अग्रिमों सहित) को अग्रे नीत किया जाता है और तुलन पत्र में देयता के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।

9. उद्दिष्ट निधियों का निवेश और ऐसे निवेशों पर प्रोद्भूत ब्याजि रूपी आय

व्यय के लिए जिस मात्रा तक तत्काल आवश्यकता नहीं है, ऐसी निधियों में से उपलब्ध धनराशियों को अनुमोदित प्रतिभूतियों एवं बांड में निवेश किया जाता है या बैंकों में नियत अवधि के लिए जमा किया जाता है, शेष को बचत बैंक खाते में छोड़ा जाता है। ऐसे निवेशों पर प्राप्त ब्याज, प्रोद्भूत एवं देय ब्याज तथा ब्याज प्रोद्भूत परन्तु देय नहीं, को संबंधित निधियों में जोड़ा जाता है और इसे संस्थान की आय नहीं माना जाता।

10. प्रायोजित परियोजनाएँ

10.1 जारी प्रायोजित परियोजनाओं के संबंध में प्रायोजकों से प्राप्त धनराशियों को चालू देयताएँ और प्रावधान “चालू देयताएँ-अन्य देयताएँ—जारी प्रायोजित परियोजनाओं की प्राप्तियाँ” शीर्ष में जमा किया गया है। ऐसी परियोजनाओं में से जब कभी खर्च किया जाता है/अग्रिम भुगतान किए जाते हैं या आबंटित उपरिप्रभारों को संबद्ध परियोजना खाते में नामे डाला जाए तो देयता लेखा के नामे डाला जाता है।

10.2 संस्थान स्वयं भी अध्येतावृत्तियाँ एवं छात्रवृत्तियाँ प्रदान करता है जिनका लेखाकरण अकादमिक व्यय के रूप में किया जाता है।

11. माल मूल्यन

पुस्तकों, कागजों, ब्लाकों और विज्ञान किटों के माल का मूल्यन लागत पर किया जाता है। पुस्तकों के मामले में मूल लागत, मुद्रित मूल्य पर औसत आधार पर छूट प्रदान करने के उपरांत निकाली जाती है।

12. आयकर

आयकर अधिनियम की धारा 10 (23 सी) के अंतर्गत संस्थान की आय को आयकर से मुक्त रखा गया है। अतएव लेखा में आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।

मुख्य लेखाधिकारी
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110 016

सचिव
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 24 — ट. लेखा पर टिप्पणियाँ

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए

आकस्मिक देयताएँ और लेखा पर टिप्पणियाँ

1. आकस्मिक देयताएँ

- 1.1 पूर्व/वर्तमान कार्मिकों, किराएदारों और संविदाकारों द्वारा संस्था के विरुद्ध दायर अदालती मामले तथा संविदाकारों के साथ मध्यस्थता मामले 31.3.2019 को निर्णयों के लिए लम्बित थे। कार्मिकों द्वारा दायर मुकदमों में स्थापना से संबंधित हैं अर्थात् पदोन्नति, वेतनवृद्धि, वेतनमान और सेवा-समाप्ति आदि जिसमें दावों की मात्रा को उद्दिष्ट नहीं किया जा सकता है। 31.03.2019 को संस्था की ओर से बैंक द्वारा स्थापित बकाया साख-पत्र-शून्य।
- 1.2 31.03.2019 को ब्रिकी कर एवं निगम कर की बकाया विवादित मांग-शून्य
- 1.3 31.03.2019 को बकाया बैंक गारंटी निम्नवत विवरणानुसार—
पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई. भोपाल : ₹ 30.49 लाख (पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई. भवन निर्माण प्रयोजन हेतु नगर निगम भोपाल को जमा राशि)

2. पूंजीगत प्रतिबद्धताएँ

31.03.2019 को शेष संविदाओं का मूल्य जिनका कार्यान्वयन पूंजीगत खाते से किया जाना है और जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया (निवल अग्रिम) — ₹91.51 करोड़

3. स्थायी परिसंपत्तियाँ

- 3.1 मूर्त परिसंपत्तियाँ— वर्ष 2018-19 के दौरान किए गए परिवर्धनों के संबंध में पूंजीगत निधियों और राजस्व निधियों से सृजित स्थायी परिसंपत्तियों को पृथक रूप से दर्शाया गया है। उन परिवर्धनों पर मूल्यहास स्थायी परिसंपत्तियों की मुख्य अनुसूची (अनुसूची-4) की उप-अनुसूचियों 4(अ) तथा 4(ब) में स्पष्टतया तया दिया गया है।
- 3.2 अमूर्त परिसंपत्तियाँ— लेखा के नये संरूप के परिणामस्वरूप अमूर्त परिसंपत्तियों को परिसंपत्ति विवरण में प्रथमतया दर्शाया जा रहा है। तदनुसार सृजित अमूर्त परिसंपत्तियों को परिसंपत्ति विवरण/पूंजीगत निधि में दर्शाया गया है।
- 3.3 अनुसूची-4 में स्थायी परिसंपत्तियों में वर्ष के दौरान किए गए परिवर्धनों में पूंजीगत और राजस्व शीर्षों के अंतर्गत क्रमशः ₹ 5.65 करोड़ एवं ₹4.53 करोड़ की खरीद की परिसंपत्तियाँ शामिल हैं। प्रायोजित परियोजनाओं/उपहारस्वरूप संपत्तियों के अंतर्गत वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों में किए गए परिवर्धनों का विवरण क्रमशः ₹13.18 लाख और ₹1.64 लाख है और तदनुसार पूंजीगत निधि में जमा स्थापित किए गए हैं।

4. मूल्यहास

- 4.1 लेखा नीति में परिवर्तन के अनुपालन में दिनांक 01.04.2014 से परिसंपत्तियों पर मूल्यहास की दरें तदनुसार संशोधित निर्धारित दरों के अनुसार लगाई गई हैं। इसके अतिरिक्त, संशोधित लेखा नीति के संबंध में मूल्यहास सीधी कटौती प्रणाली पर प्रभारित किया गया है। तथापि, चूंकि परिसंपत्तियों की मूल लागत उपलब्ध नहीं है, मूल्यहास 01 अप्रैल, 2015 को प्रत्यक्ष कटौती प्रणाली में परिसंपत्तियों के मूल्यहास मूल्य पर प्रभारित किया गया है। पूर्णतया बट्टे खाते में डाली गई परिसंपत्तियों के अवशिष्ट मूल्य को ₹1 के साथ में दर्शाया जाना पूर्ण विवरण के अभाव में उद्दिष्ट नहीं किया जा सका।

4.2 इसके अतिरिक्त, उन परिसंपत्तियों के संबंध में जिनकी मूल्यहास की दरें निर्धारित नहीं हैं, उनमें उसी प्रकार की परिसंपत्तियों की दरें लागू की गई हैं। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च, 2015 तक अवशिष्ट मूल्य ₹1 पर अर्जित की गई/खरीदी गई स्थायी परिसंपत्तियों के विवरण की अनुपस्थिति में लेखा में प्रकटीकरण उद्दिष्ट नहीं किया जा सका।

5. नए फॉर्मेट के अनुसार लेखा का संकलन

लेखा का संकलन प्राप्त एवं भुगतान लेखा तथा परिषद् के संबंधित एककों से प्राप्त अतिरिक्त जानकारी के आधार पर किया गया है। इसके अतिरिक्त, चूंकि इस फॉर्मेट को शैक्षिक संस्थाओं के लिए प्रारूपित किया गया है, संस्था का प्रमुख ध्येय गुणकारी शिक्षा प्रदान करना है जिसके लिए देश में विद्यालय स्तर की शिक्षा तक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण/विकास/कार्यक्रम/संगोष्ठियाँ/सम्मेलनों के आयोजन और पाठ्यचर्या, पाठ्यविवरण के विकास पर पर्याप्त राशि खर्च की गई है। तदनुसार जहाँ कहीं भी निर्धारित लेखा फॉर्मेट से लेखा प्रस्तुति में कोई विचलन है, उसका प्रकटीकरण किया गया है।

6. सेवा-निवृत्ति हितलाभ

31 मार्च, 2019 तक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त हितलाभ (उपदान, पेंशन और छुट्टी का नकदीकरण) के लिए ₹1489.25 करोड़ की देयता का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित कर लिया गया। तथापि सेवानिवृत्त कार्मिकों को उपदान, छुट्टी नकदीकरण और पेंशन के चालू वर्ष के भुगतान को आय और व्यय लेखा की अनुसूची 15ए के अंतर्गत दर्शाया गया है।

7. विदेशी मुद्रा में व्यय

वर्ष के दौरान निम्नवत् शीर्षों में किए गए व्यय का विवरण है—

अ) यात्रा	₹ 10,67,725/-
ब) रसायन आदि के आयात हेतु विदेशी ड्राफ्ट	₹ शून्य
स) अन्य	₹ शून्य

8. चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम और जमा

प्रबंधन के विचार में चालू परिसंपत्तियों, ऋणों, अग्रिमों और जमा के सामान्य प्रक्रिया में नकदीकरण पर मूल्य कम से कम तुलनपत्र में दर्शाई गई समग्र धनराशि के बराबर होना चाहिए।

बैंकों में बचत बैंक खातों और सावधि जमा खातों में शेष का विवरण चालू परिसंपत्तियों की अनुसूची के संलग्नक में दर्शाया गया है। ₹1,06,229/- की आयकर देयताएं, चालू देयताएँ अनुसूची-3 में दर्शाई गई हैं।

9. भविष्य निधि और नई पेंशन योजना

चूंकि भविष्य निधि खाता और नई पेंशन योजना खाता संस्था की निधि का भाग नहीं है, ये इन निधियों के सदस्यों के स्वामित्व में हैं न कि संस्था के इसलिए उन्हें अलग से दर्शाया गया है। वर्ष 2018-19 के लिए भविष्य निधि लेखा का प्राप्त और भुगतान लेखा, आय और व्यय लेखा (प्रोद्भवन आधार) और तुलन पत्र को संस्था के लेखा के साथ संलग्न किया गया है।

10. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को अग्रिमों की स्थिति

10.1 01 अप्रैल, 2018 को के.लो.नि.वि. को कुल अग्रिम ₹ 59.91 करोड़ में से पूंजीगत शीर्ष के अंतर्गत ₹ 2.51 करोड़ का निपटान परिसंपत्तियों के अर्जन द्वारा किया गया है। राजस्व शीर्ष के अंतर्गत ₹17.81 करोड़ के अग्रिम का भी वर्ष 2018-19 के दौरान भूमि एवं भवन के मरम्मत एवं रख-रखाव के लिए राजस्व व्यय के रूप में दर्ज करते हुए निपटान/प्रतिदाय कर दिया गया है।

10.2 वर्ष के दौरान के.लो.नि.वि. को भुगतान किए गए अग्रिमों की स्थिति अन्य बातों के साथ-साथ अर्जित की गई परिसंपत्तियों का विवरण और पूंजीगत एवं राजस्व के अंतर्गत किए गए राजस्व व्यय को दर्शाते हुए निम्नवत् प्रस्तुत किया गया है—

10.2.1 राजस्व शीर्ष

राजस्व शीर्ष — के.लो.नि.वि. अग्रिम	राजस्व शीर्ष भूमि एवं भवन	जस्व शीर्ष ई. एवं एफ.	कुल
आदि शेष (अ)	47,14,20,315/-	10,00,000/-	47,24,20,315/-
2018-19 के दौरान दिए गए अग्रिम (ब)	30,35,48,874/-	12,50,000/-	30,47,98,874/-
2018-19 में अधिग्रहीत/समायोजित (स)	17,80,62,703/-	-	17,80,62,703/-
अंत: शेष (अ+ब+स)	59,69,06,486/-	22,50,000/-	59,91,56,486/-

10.2.2 पूँजीगत शीर्ष

पूँजीगत शीर्ष — के.लो.नि.वि. अग्रिम	पूँजीगत शीर्ष भूमि एवं भवन	पूँजीगत शीर्ष ई. एवं एफ.	कुल
आदि शेष (अ)	12,51,45,746/-	15,39,057/-	12,66,84,803/-
2018-19 के दौरान दिए गए अग्रिम (ब)	21,43,79,705/-	-	21,43,79,705/-
2018-19 में अर्जित/समायोजित/वापसी(स)	2,51,46,846/-	-	2,51,46,846/-
अंत: शेष (अ+ब+स)	31,43,78,605/-	15,39,057/-	31,59,17,662/-

11. यू.एन.एफ.पी.ए. से वर्ष 2018-19 के व्यय के लिए प्राप्त एवं भुगतान लेखा में दर्शाई गई कुल निधि की प्रतिपूर्ति अर्थात् ₹5,20,449/- है। किशोरावस्था शिक्षा परियोजना (ए.ई.पी.) से संबंधित मा.सं.वि.मं. में 9 मार्च, 2012 को हुई बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार यह निर्णय लिया गया कि परियोजना को एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा सीधे तौर पर कार्यान्वित किया जाएगा और इसके लिए व्यय को जनवरी, 2013 के कैलेण्डर माह से आरंभ करते हुए तिमाही आधार पर यू.एन.एफ.पी.ए. से प्रतिपूर्ति की जाएगी। तदनुसार वर्ष 2018-19 के दौरान परियोजना से संबंधित आवश्यक विवरण निम्नवत् है—

कार्यान्वयन एजेंसियों के पास आदि शेष	7,74,334
जमा : गत वर्ष में प्रकाशन, एन.सी.ई.आर.टी. को जारी राशि	-
जमा : एन.वी.एस. एजेंसी द्वारा रिपोर्ट किया गया संशोधित आदिशेष	-
जमा : गत वर्ष में यू.एन. एजेंसी से प्राप्त प्रतिपूर्ति	1,45,102
वर्ष के दौरान एजेंसियों को जारी राशि + एन.सी.ई.आर.टी. में व्यय	5,14,836
जमा : जारी निधियों पर एजेंसी द्वारा अर्जित ब्याज	-
जमा : एजेंसियों (के.वी.एस.) द्वारा प्राप्त प्रतिदाय	-
घटा : एजेंसियों के पास अप्रयुक्त राशि	7,74,334
वर्ष के दौरान निवल व्यय	6,65,653
जमा : वित्त वर्ष 2019-20 के लिए प्राप्त प्रतिपूर्ति	5,715
घटा : (जनवरी 18 – मार्च 18) के लिए बकाया प्रतिपूर्ति	-
घटा : गत वर्ष में यू.एन. द्वारा प्रतिपूर्ति किया गया व्यय	-
जमा : लेखा परीक्षा द्वारा अमान्य व्यय (सी.ओ.बी.एस.ई. से प्राप्त)	-
जमा : वर्ष के दौरान प्राप्त गत वर्षों का अमान्य व्यय	-
वर्ष के दौरान यू.एन.एफ.पी.ए. द्वारा की गई प्रतिपूर्ति	5,20,449

12. आय एवं व्यय लेखा (अनुसूची-13) में दिखाई गई पुस्तकों/सी.डी. और पत्रिकाओं की बिक्री से आय का विवरण निम्नोनुसार है—

विवरण		राशि
	समेकित प्राप्त और भुगतान लेखा 2018-19 में दर्शाई गई पुस्तकों और पत्रिकाओं की बिक्री आय	2,93,97,93,983
जमा	क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों को की गई उधार बिक्री	6,67,931
घटा	गत वित्त वर्षों के दौरान क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों से उधार बिक्री के लिए प्राप्त भुगतान/पुस्तकें वापिस	7,05,997
जमा	चालू वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान आपूर्ति की गई पुस्तकें एवं पत्रिकाएँ जिसके लिए गत वित्त वर्ष के दौरान प्राप्त अग्रिम	26,55,84,782
घटा	पुस्तकें एवं पत्रिकाएँ जिनके लिए चालू वित्त वर्ष में अग्रिम प्राप्त किया गया परंतु वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान पुस्तकों की आपूर्ति नहीं की जा सकी	12,23,71,267
जमा	ग्राहकों को बिक्री पर छूट	59,37,72,273
	समेकित आय और व्यय लेखा 2018-19 में दर्शाई गई पुस्तकों और पत्रिकाओं की बिक्री आय	3,67,67,41,705

13. मंत्रालय से प्राप्त सहायता अनुदान की शीर्ष-वार स्थिति, इसमें हुआ व्यय और 31.03.2019 को अव्ययित शेष की स्थिति निम्नवत् है—
(आकड़े लाखों में)

शीर्ष	01.04.2018 को आदिशेष	प्राप्त अनुदान 2018-19	कुल उपलब्ध निधि	व्यय	31.03.2019 को अव्ययित शेष
वेतन	2222.92	13034.00	15256.92	13996.62	1260.30
राजस्व (सामान्य)	शून्य	12695.00	12695.00	18896.46	-
पूंजीगत	शून्य	2500.00	2500.00	2457.23	42.77
एन.ई.आर.	39.95	125.05	165.00	108.66	56.34
कुल	2262.87	28354.05	30616.92	35458.97	1359.41

टिप्पणियाँ—

निम्नवत् शीर्ष के अंतर्गत शेष राशि अर्थात् ₹ 13,59,41,751/- संबंधित शीर्षों के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान समायोज्य होगी—

(अ) वेतन	: ₹ 12,60,30,704/-
(ब) पूंजी	: ₹ 42,76,760/-
(स) एन.ई.आर.	: ₹ 56,34,287/-

- राजस्व (सामान्य) शीर्ष के अंतर्गत सहायता अनुदान के अतिरिक्त ₹ 62,01,45,588.25 तक की निधियों के घाटे को परिषद् की आंतरिक विविध प्राप्तियों से पूरा किया गया है।
- 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार की पूर्व-शर्त को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त उत्पन्न वित्तीय भार का 30% अनिवार्यतः एन.सी.ई.आर.टी. को वहन करना है। तदानुसार 30% वित्तीय भार अर्थात् ₹ 9,69,87,596/- (कुल व्यय ₹ 1,49,66,49,474/- में से) की गणना की गई है और वेतन शीर्ष के अंतर्गत निवल व्यय दर्शाया गया है। इस धनराशि को अनुदान/सब्सिडी (प्राप्त अशोधय अनुदान) शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची संख्या 10 में दर्शाया गया है।

14. पूर्वावधि आय

14.1 गत् वित्तीय वर्ष अर्थात् 2017-18 तक ₹ 20.00 करोड़ की राशि एन.सी.ई.आर.टी. पाठ्यपुस्तक प्रयोजन हेतु कागज पर प्रवेश कर के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के पास बैंक गारंटी के रूप में दर्शाई गई थी। अब वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक गारंटी का उपयोग किया है और तदानुसार ब्याज अंश के साथ कुल राशि अर्थात् ₹ 27,60,84,926/- (₹ 20,00,00,000/- + ₹ 7,60,84,926/- पूरा प्रकाशन प्रभाग के प्राप्ति और भुगतान लेखा के उपशीर्ष, अन्य प्राप्तियाँ, में प्राप्ति के रूप में लिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवेश कर के लिए प्रकाशन प्रभाग के बचत बैंक खाते से ₹ 1,66,37,006/- की राशि की कटौती कर ली और ₹ 18,23,54,096/- बैंक गारंटी से वसूल कर ली है। शेष राशि का बाकी आर्थात् ₹ 9,37,30,830/- प्रकाशन प्रभाग के बचत खाते में जमा हो गया। बैंक गारंटी राशि पर अर्जित ब्याज के लिए ₹ 7,60,84,926/- की राशि को पूर्वावधि आय के रूप में लिया गया है और अनुसूची 14— पूर्वावधि आय में दिखाया गया है। इसी प्रकार भुगतान के लिए व्यय ₹ 19,89,91,102/- (अर्थात् ₹ 1,66,37,006/- + ₹ 18,23,54,096/-) को अनुसूची 22— पूर्वावधि व्यय के अंतर्गत दर्शाया गया है। तदानुसार कागज प्रवेश कर के लिए ₹ 20.00 करोड़ की संपूर्ण बैंक गारंटी का वर्ष के दौरान उपयोग किया गया।

14.2 जैसा कि एस.ए.आर. में लेखा परीक्षा ने ध्यान दिलाया है, जिन बैंक खातों को गत् वर्षों के दौरान लेखा में नहीं दर्शाया गया था उनका विवरण निम्नवत् है—

संघटक इकाई	बैंक खाता संख्या	31/03/2019 को शेष
क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भुवनेश्वर	33810563810	24,351.00
क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, मैसूर	46214245932	2,35,73,578.30
”	54035459893	1,59,549.85
”	64072949232	1,00,000.00
क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल	10026530514	18,101.00
एन.सी.ई.आर.टी. मुख्यालय	37614943571	10,000.00
”	36189339869	66,315.50
कुल		2,39,51,895.65

अब परिषद् के वार्षिक लेखा में ₹ 2,39,51,895.65/- के अंतः शेष का लेखाकरण ‘अनुसूची 7— चालू परिसंपत्तियाँ और अनुसूची 14—पूर्वावधि आय’ में कर दिया गया है।

14.3 जैसा कि एस.ए.आर. में ध्यान दिलाया गया है कि आर.पी.डी.सी. सहित प्रकाशन प्रभाग के अंतः शेष में ₹ 0.67 करोड़ (₹ 41.19 करोड़ ₹ 40.52 करोड़) का अंतर है जिसके परिणामस्वरूप चालू परिसंपत्तियों को कम दर्शाया गया है। अब यह स्पष्ट किया जाता है कि ₹ 64,00,172.11 की राशि को प्रकाशन प्रभाग द्वारा पहले ही गत् वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक समाधान विवरणी में ले लिया गया है और अंतर के आंकड़े की शेष राशि ₹ 2,80,313.95 प्रकाशन प्रभाग के प्राप्ति और भुगतान लेखा— मार्च, 2019 के अंतः शेष में समायोजित/जोड़ी है। तदानुसार ₹ 66,80,486.06 की संपूर्ण राशि (₹ 0.67 करोड़) को परिषद् के लेखा में समायोजित कर लिया गया है।

15. पूर्वावधि व्यय

15.1 एस.ए.आर. में यह ध्यान दिलाया गया है कि ₹ 131.22 करोड़ की सामान्य भविष्य निधि देयताओं में से, ₹ 100.38 करोड़ को मुख्य लेखा में ‘चालू देयताएँ— अन्य’ में दर्शाया गया था और शेष निर्धारणीय नहीं है और अतएव अंतर के आंकड़े का समाधान किया जाना आवश्यक है। इस राशि के बड़ी होने के कारण जी.पी.एफ./सी.पी.एफ. लेखाओं की स्थिति की समीक्षा वर्ष 2014-15 के लिए जी.पी.एफ./सी.पी.एफ. के आदिशेष क्रमशः ₹ 99,67,02,496 और ₹ 1,24,19,953/- को लेखा में लेते हुए की गई, यह पाया गया कि 2015-16 से जी.पी.एफ./सी.पी.एफ. भुगतान एवं प्राप्तियों का लेखाकरण परिषद् में निरपवाद रूप में किया जाता

था परंतु जी.पी.एफ./सी.पी.एफ. अभिदाताओं के जमा ब्याज को अनुसूची 3— चालू देयताएँ में वर्षवार आंकड़ों के लेखाकरण में असावधानी से छोड़ दिया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 26,48,10,280/- की राशि का अंतर आया जिसका वर्षवार विवरण निम्नवत् है—

वर्ष	शीर्ष	प्राप्तियाँ	भुगतान	जमा ब्याज
2015-16	जी.पी.एफ.	₹ 19,81,76,139/-	₹ 20,77,86,195/-	₹ 8,48,16,637/-
वही	सी.पी.एफ.	₹ 7,90,920/-	₹ 70,59,946/-	₹ 7,49,273/-
2017-17	जी.पी.एफ.	₹ 19,58,37,029/-	₹ 16,39,84,258/-	₹ 8,75,99,110/-
वही	सी.पी.एफ.	₹ 6,66,700/-	₹ 50,37,226/-	₹ 5,34,020/-
2017-18	जी.पी.एफ.	₹ 21,20,31,049/-	₹ 22,29,25,950/-	₹ 9,08,28,456/-
वही	सी.पी.एफ.	₹ 17,28,592/-	₹ 3,00,000/-	₹ 2,82,784/-
			कुल	₹ 26,48,10,280/-

₹ 26,48,10,280/- की राशि को लेखा में अनुसूची 3— चालू देयताएँ और अनुसूची 22—पूर्वावधि व्यय में दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त जी.पी.एफ. तुलन पत्र (2017-18) ₹ 3,61,31,219/- की राशि स्वतः आय और व्यय लेखा से स्थानांतरित नामे, शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची 1— पूंजीगत निधि में जाता है जिसमें अधिशेष राशि भी शामिल है। तदानुसार ₹ 30,09,41,499/- (₹ 26,48,10,280/- + ₹ 3,61,31,219/-) के अंतर के आँकड़े को परिषद् के अंतिम लेखा में संबंधित अनुसूचियों में दर्शाया गया है।

15.2 आसावधानी से, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर (संघटक इकाईयों में से एक) द्वारा किए गए ₹ 25.26 लाख के मूल्य की ई-जर्नल के परिवर्द्धन पर 40% की दर से लगाए गए मूल्यहास को वर्ष 2017-18 के दौरान परिसंपत्ति विवरणी में छोड़ दिया गया। आवश्यक परिशोधन कर दिया है और ₹ 10,06,400/- (₹ 25.26 लाख का 40%) की राशि को पूर्वावधि व्यय के अंतर्गत अनुसूची 22 में दर्शाया गया है। संबद्ध इकाई की ई-जर्नल की परिसंपत्ति विवरणी में आदि शेष को भी लेखा में तदानुसार दर्शाया गया है।

16. पृथक लेखा रिपोर्ट में यह ध्यान दिया गया है कि (-) ₹ 19.40 लाख के सममूल्य के विविध लेनदार का विस्तृत ब्योरा प्रस्तुत नहीं किया गया। विवरण निम्नकत् है—

विवरण	राशि
आदिशेष	₹ 49,09,340.00
31.03.2016 को बकाया देयताएँ	(-) ₹ 84,02,063.00
31.03.2017 को बकाया देयताएँ	₹ 15,52,608.00
अंतः शेष	(-) ₹ 19,40,115.00

17. प्रदत्त जानकारी के आधार पर चालू परिसंपत्तियाँ (अनुसूची 7) के अंतर्गत दर्शाई गई ₹192.85 करोड़ की राशि का प्रकाशन का अंतः स्टॉक निम्नावत् को लेखा गणना में लेते हुए सही है—

अ) प्रकाशन प्रभाग का कागज स्टॉक	—	₹ 34,00,72,543.42
ब) प्रकाशन प्रभाग का पुस्तक स्टॉक	—	₹ 158,34,20,100.88
स) डी.ई.के., एन.सी.ई.आर.टी. में स्टॉक	—	₹ 49,71,519.00
		₹ 192,84,64,163.30

18. ये अवलोकन पंजाब वित्त निगम (पी.एफ.सी.) के साथ किए गए जी.पी.एफ./सी.पी.एफ. निवेश और 01/12/2016 को परिपक्व हुए निवेश पर प्रोद्भूत ब्याज के संबंध में है। परिषद् ने वर्ष 11/2006 के दौरान ₹ 2.00 करोड़ तक जी.पी.एफ./सी.पी.एफ. की राशि का निवेश

पी.एफ.सी. में किया था और तदानुसार जनवरी 2015 तक निरपवाद रूप में नियत तिथि पर ब्याज प्राप्त किया गया था। अर्जित ब्याज के अतिरिक्त, ₹ 40.00 लाख का शोधन मूल्य भी वर्ष 01/2013 के दौरान किया गया था। चूंकि निगम में किए गए निवेश की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी थी तो शोधन मूल्य राशि ₹ 1.60 करोड़ और उस पर ब्याज प्राप्त किया जाना अपेक्षित था। पी.एफ.सी. से नियमित अनुनय के बावजूद ब्याज और शोधन मूल्य की शेष राशि बकाया है। निगम ने आश्वस्त किया है कि एन.सी.ई.आर.टी. की शेष राशि के निपटान को अतिशीघ्र समाधान कर दिया जाएगा क्योंकि राज्य सरकार से कुछ निधियों की अपेक्षा है और निगम निधियों के अंतर्वाह के लिए निगम स्टॉक धारकों से एकबारगी निपटारे की नीति को लागू कर रहा है। तदानुसार शोधन मूल्य (मूलधन राशि) और वर्षानुवर्ष आधार पर प्रोद्भूत ब्याज को जी.पी.एफ./सी.पी.एफ. लेखा में नियमित कर दर्शाया जा रहा है। यदि ऐसा हो, मामले के निपटारे तक निवेश की शेष मूलधन राशि और प्रोद्भूत ब्याज को लेखा में नहीं दर्शाए जाने की स्थिति में हम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से एस.ए.आर. में की गई टिप्पणी के अनुसार निवेश को अधिक दर्शाए जाने और चालू परिसंपत्तियों को कम दर्शाए जाने से बचने के लिए इस संबंध में किसी सौहार्दपूर्ण समाधान की सलाह देने का अनुरोध कर सकते हैं।

19. लेखा परीक्षा द्वारा अनुसूची 3 में दर्शाई गई चालू देयताएँ एवं प्रावधान को ₹ 1.88 करोड़ कम दर्शाए जाने की टिप्पणी सही है। असावधानी से प्रायोजित परियोजनाओं से संबंधित ₹ 1.88 करोड़ की ऋणात्मक राशि का लेखाकरण चालू देयताएँ में कर दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.88 करोड़ का अंतर आया। इस गलती को अब परिशोधित कर लिया गया है और परिषद् के लेखा में चालू देयताएँ—अप्रयुक्त अनुदान शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया गया है।
20. इस रिपोर्ट में, ₹ 4.40 लाख के देय परंतु अप्रदत्त व्यय की देयता को क्षे.शि.सं. भोपाल और आर.सी.पी.डी., अहमदाबाद से संबंधित ₹ 3.84 लाख और ₹ 0.56 लाख के ब्यौरे के साथ दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप लेखा में चालू देयताएँ को कम दर्शाया गया है और पूंजीगत निधि को अधिक दर्शाया गया है। परिषद् के लेखा को तैयार करते समय प्रदत्त आँकड़ों के अनुसार ₹ 3.57 लाख की राशि क्षे.शि.सं. भोपाल के डी.सी.जी.सी. कार्यक्रम से संबंधित है और तदानुसार इसे अनुसूची 3—अन्य चालू देयताएँ में दर्शाया गया है। तथापि लेखा परीक्षा द्वारा अवलोकित राशियाँ पर संबद्ध इकाइयों के साथ विचार किया जाएगा और तदानुसार अनुपालन किया जाएगा।
21. ऋण, अग्रिम और जमा के ₹ 1.88 करोड़ तक कम दर्शाए जाने का अनुपालन/जवाब बिंदु 19 में विस्तारपूर्वक दिया जा चुका है। इस त्रुटि को अब परिशोधित कर परिषद् के अंतिम लेखा में चालू देयताएँ—अप्रयुक्त अनुदान में दर्शाया गया है।
22. एस.ए.आर. में लेखा-परीक्षा के अनुपालन में प्रायोजित अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति में ₹ 71.21 लाख के नामे शेष के ऋणात्माक आँकड़े को अब अंतिम लेखा के चालू देयताएँ एवं प्रावधान (अनुसूची 3) के अंतर्गत दर्शाया गया है।
23. लेखा-परीक्षा ने स्पष्ट किया कि परिषद् ने ₹ 1,78,248/- की राशि को ब्याज के रूप में दर्शाया गया है जिसमें सी.पी.एफ. लेखा में ₹ 1,15,672/- का मिलान अनुदान शामिल है जिसके परिणामस्वरूप व्यय को ₹ 1,15,672/- से अधिक दर्शाया गया है। वस्तुतः परिषद् का अंश अथवा सरकारी मिलान अनुदान और सी.पी.एफ. संचय पर ब्याज का वहन परिषद् करती है। अतएव परिषद् अंश+ब्याज तत्व को उप-शीर्ष ब्याज के अंतर्गत दर्शाया जाना सही है। तदानुसार लेखा में व्यय के आधिक्य को नहीं दर्शाया गया है।
24. जहाँ तक भारतीय स्टेट बैंक खाता सं. 10137881331 के बैंक समाधान के पहलू का संबंध है, कुल राशि ₹ 1,55,581/- में से ₹ 1,24,274/- सॉफ्टवेयर स्वामित्व मदों के प्रापण के लिए विदेशी लेन-देन ₹ 13,406/- पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजन हेतु संस्थागत प्रभार तथा ₹ 1200/- पी.ओ.एस. मशीन प्रभार/बैंक प्रभार के लिए है। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि बड़ी संस्था होने के कारण सामान्यतः परिषद् के खाते में राशि कहां से जमा की गई इसके विवरण/कथन बिना सीधे तौर पर ई-रेमिट्टेंस के माध्यम से बैंक द्वारा राशियाँ जमा कर दी जाती है। भेजी गई राशि के पूरे विवरण के प्राप्त होने तक इस राशि को बैंक समाधान विवरणी में लंबित दर्शाया गया है। प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी के आधार पर प्राप्ति और भुगतान लेखा का मिलान हुआ। भारतीय स्टेट बैंक खाता सं. 10137881284 के संबंध में बैंक समाधान का काम निरपवाद रूप से किया जाता है तथा प्राप्ति और भुगतान लेखा में स्थिति दर्शाई जाती है। तथापि जैसा कि लेखा परीक्षा में ध्यान दिलाया गया है, बैंक समाधान विवरणी में कमियों का न्यूनीकरण करने हेतु पूरा ध्यान दिया जाएगा।

25. जैसा कि एस.ए.आर. में सुझाया गया है, निम्नवत् शीर्षक को पुनर्स्थापित कर दिया गया है।

अनुसूची संख्या	एस.ए.आर. के अनुसार संशोधित
अनुसूची 1—पूँजीगत निधि	‘पूँजीगत निधि में योगदान’ शीर्षक को पूँजीगत निधि के लिए उपयोग’ के रूप में पुनर्स्थापित
अनुसूची 10 अनुदान	अंतिम कोष्ठक ‘चालू वर्ष’ के स्थान पर ‘गत् वर्ष 2016-17’ किया गया।
लेखा पर टिप्पणियाँ— क्रम सं. 12	‘घटा— ‘ग्राहकों को बिक्री पर छूट’ के स्थान पर जमा: ग्राहकों को बिक्री पर छूट’ किया गया।

26. ₹ 0.23 करोड़ की राशि के बकाया अग्रिमों (अन्य) का विवरण निम्नवत् है—

विवरण	राशि
आदि शेष	₹ 29,52,025.00
विविध प्रेषण एवं अन्य प्रेषण (भुगतान)	₹ 1,00,02,367.00
विविध प्रेषण एवं अन्य प्रेषण (प्राप्तियाँ)	(-) ₹ 1,29,10,463.00
उप-योग	₹ 43,929.00
एन.ई.आर.आई.ई./आर.आई.ई. में 31.03.2017 को अंत: शेष	₹ 20,79,165.00
एन.ई.आर.आई.ई./आर.आई.ई. में 31.03.2016 को अंत: शेष	(-) ₹ 9,05,060.00
आयकर का अग्रिम भुगतान	₹ 10,55,105.00
31.03.2017 को अंत: शेष	₹ 22,73,139.00

27. परिसंपत्तियों और उनके हासमूल्य के वर्णन के लिए फॉर्मेट को अनेक वर्षों से निर्धारित फॉर्मेट के अनुसार प्रयुक्त किया जा रहा है। तथापि, एस.ए.आर. में सुझाव के अनुसार परिसंपत्ति विवरणी तैयार करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

28. अनुसूची 7— चालू परिसंपत्तियों के अनुसार ₹ 54,29,770/- की राशि को ‘विविध देनदार—(अ) छ: महीने से अधिक बकाया ऋण’ के अंतर्गत दर्शाया गया है जिसका विवरण निम्नवत् है—

(अ) प्रकाशकों से बकाया रॉयल्टी	:	₹ 42,428.75
(ब) डी.पी.डी. के अलावा बकाया उधार	:	₹ 1,79,865.62
(स) डी.पी.डी. से बकाया उधार बिक्री	:	₹ 48,76,318.27
(द) उर्दू अकादमी से बकाया उधार बिक्री	:	₹ 20,365.87
(य) जम्मू एवं कश्मीर का उच्चत खाता	:	₹ 3,10,792.36
कुल	:	₹ 54,29,770.87

अब मंत्रालय के पत्र फा.सं.1-13/2015-स्कूल.4 दिनांक 23/04/2018 के विधिवत् अनुमोदन से ₹ 54,29,770.87 की उपर्युक्त बकाया राशि को हानि के बट्टे खाते में डाल दिया गया है और तदनुसार परिषद् के वार्षिक लेखा में ‘अनुसूची 21— अन्य व्यय’ के अंतर्गत वर्णित किया गया है।

29. एस.ए.आर. में यह सुझाव दिया गया है कि विभिन्न प्रयोजनों के लिए ₹ 22.65 करोड़ की प्राप्य दावों की राशि को प्राथमिकतया वसूल किया जाना अपेक्षित है। इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि एन.सी.ई.आर.टी. पाठ्यपुस्तकों के लिए कागज़ पर प्रवेश शुल्क की ₹ 20.00 करोड़ की बैंक गारंटी को वर्ष 2018-19 के दौरान परिसमापन/उपयोग किया जा चुका है और इसे अलग से लेखा पर टिप्पणियों के क्रम सं. 14.1 के अंतर्गत स्पष्टीकृत किया गया है। शेष राशि ₹ 2,65,81,131/- के संबंध में स्थिति निम्नवत् है—

- (अ) ₹ 2,34,00,000/- : न्यायालय कुर्की हेतु—मामला न्यायाधीन है
(ब) ₹ 30,49,200/- : नगर निगम भोपाल को भोपाल में पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई. भवन के निर्माण हेतु प्रतिभूति के रूप में जमा राशि
(स) ₹ 1,31,931/- : आयकर हेतु अतिरिक्त जमा राशि

तथापि, उपर्युक्त प्राप्य दावों को निपटारे हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

30. जहाँ भी आवश्यक हुआ, गत वर्ष के आँकड़ों का पुनर्समूहन, पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

31. अंतिम लेखा में आँकड़ों को निकटतम रूपये में पूर्ण किया गया है।

32. अनुसूची 1 से 24 संलग्न हैं और 31 मार्च 2019 को तुलन पत्र तथा उसी तिथि को समाप्त वर्ष के आय और व्यय लेखा का एक अभिन्न अंग धारण करती है।

मुख्य लेखाधिकारी
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110 016

सचिव
एन.सी.ई.आर.टी.
नयी दिल्ली-110 016

**** (प्रस्तुत रिपोर्ट मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार की गई लेखा परीक्षा रिपोर्ट का हिंदी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी रूपान्तरण ही मान्य होगा) ****

ठ. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के लेखा पर 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की पृथक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट

1. हमने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली की 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के संलग्न तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा की नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) के अंतर्गत लेखा-परीक्षा की है। इस लेखा-परीक्षा रिपोर्ट को वर्ष 2022-23 तक की अवधि के लिए सौंपा गया है। इन वित्तीय विवरणों में परिषद् के 12 एककों का लेखा शामिल है। इनमें से 7 एककों के लेखा की लेखा-परीक्षा की गई थी तथा रिपोर्ट में टिप्पणियाँ शामिल की गईं। इन वित्तीय विवरणों की ज़िम्मेदारी परिषद् के प्रबंधन की है। हमारी ज़िम्मेदारी लेखा-परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है।
2. इस पृथक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में वर्गीकरण, श्रेष्ठ लेखा रीतियों, लेखाकरण मानकों और प्रकटीकरण प्रतिमानकों आदि से अनुरूपता के संबंध में लेखा विधियों पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ समाविष्ट हैं। कानून, नियमों और विनियमों (स्वामित्व एवं नियमितता) का अनुपालन और कौशल-सह-निष्पादन पहलुओं आदि से संबंधित वित्तीय लेन-देन पर यदि कोई लेखा-परीक्षा प्रेक्षण हो तो वे निरीक्षण रिपोर्टों/नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की लेखा-परीक्षा रिपोर्टों द्वारा पृथक रूप से प्रतिवेदित किए गए हैं।
3. हमने भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा-परीक्षा मानकों के अनुसार लेखा-परीक्षा संचालित की है। इन मानकों से अपेक्षा है कि हम लेखा-परीक्षा की योजना और निष्पादन में यथोचित रूप से सुनिश्चित करें कि क्या वित्तीय विवरण आर्थिक गलतबयानी से मुक्त हैं। लेखा-परीक्षा के अंतर्गत परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणियों में धनराशियों एवं प्रकटीकरण के समर्थन में साक्ष्यों की जाँच शामिल है। प्रबंधन द्वारा प्रयोग किए गए लेखा सिद्धांतों और महत्वपूर्ण प्राक्कलनों के निर्धारण के साथ-साथ वित्तीय विवरणों के संपूर्ण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी इस लेखा-परीक्षा में शामिल है। हमें विश्वास है कि यह लेखा-परीक्षा, हमारे विचारों को उचित आधार प्रदान करती है।
4. अपनी लेखा-परीक्षा के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि—
 - (i) हमने सभी सूचनाएँ और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा-परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।
 - (ii) इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा मानव संसाधन और विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थूल रूप से विनिर्धारित प्रपत्र में बनाए गए हैं।
 - (iii) हमारी राय में इन बहियों की जाँच करने पर यह प्रतीत होता है कि परिषद् द्वारा लेखा बही एवं अन्य संगत रिकॉर्डों का समुचित रख-रखाव किया गया है।
 - (iv) हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि—

क. तुलन पत्र

क.1 परिसंपत्तियाँ

क.1.1 स्थायी परिसंपत्तियाँ (अनुसूची-4) — ₹ 161.09 करोड़

उपर्युक्त में क्षेत्रीय उत्पादन और वितरण केंद्र (आर.पी.डी.सी.) बेंगलुरु (एन.सी.ई.आर.टी. का एकक) के स्वामित्व में भूमि एवं भवन शामिल नहीं है। इसके परिणामस्वरूप स्थायी परिसंपत्तियाँ एवं पूंजीगत निधि को कम दर्शाया गया है।

क.1.2 चालू परिसंपत्तियाँ (अनुसूची-7) — ₹ 228.87 करोड़

नकद एवं बैंक शेष — ₹ 48.64 करोड़

(अ) उपर्युक्त में प्रकाशन प्रभाग का अंतः शेष ₹ (-) ₹ 13.51 करोड़ (आर.पी.डी.सी. और प्रकाशन प्रभाग के बिक्री पटल के नकद शेष को छोड़कर) अंतः बैंक शेष शामिल है। प्रकाशन प्रभाग की बैंक समाधान विवरणी की जाँच करने पर निम्नवत् मामले सूचित किए गए हैं—

- ₹ 12.85 करोड़ की राशि (प्रकाशनाधिकार के लिए दिसंबर 2018 में निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, असम से प्राप्त रॉयल्टी आय: ₹ 4.37 करोड़, सितंबर 2018 में सी.बी.एस.ई. के लिए मुद्रण कार्य के लिए प्राप्त आय ₹ 2.48 करोड़, हरियाणा सरकार द्वारा पुस्तकों की बिक्री के लिए अग्रिम भुगता— ₹ 0.87 करोड़ और ₹ 3.59 करोड़, पुस्तकों की बिक्री पर अन्य प्राप्ति— ₹ 0.93 और जी.एस.टी. के अंतर्गत टी.डी.एस. ₹ 0.61 करोड़) जिसे 2018-19 के दौरान प्राप्तियों के रूप में चिह्नित किया गया था, चूक के कारण रोकड़ बही में नहीं लिया गया और लेखा के बाहर रह गया। इसके परिणामस्वरूप अन्य आय ₹ 8.32 करोड़, अग्रिम देयताएँ ₹ 4.53 करोड़ और नकद एवं बैंक शेष ₹ 12.85 करोड़ कम दर्शाया गया है।
- बैंक द्वारा जमा दिखाई गई परंतु रोकड़ बही में शामिल नहीं की गई ₹ 6.56 लाख की कम/अधिक शीर्ष के अंतर्गत राशि का विवरण एन.सी.ई.आर.टी. के पास उपलब्ध नहीं है और वर्ष 2013-14 से पूर्व से संबंधित ₹ 6.99 लाख की राशि शामिल है, जिसका समाधान हेतु कार्रवाई की जाने की आवश्यकता है।
- जमा की गई परंतु बैंक द्वारा क्रेडिट नहीं की गई ₹ 45.38 लाख राशि में बिक्री से संबंधित राशि शामिल है जिसे दो बार रोकड़ बही में ले लिया गया है जिसके परिणामस्वरूप बिक्री और चालू परिसंपत्तियाँ—बैंक शेष को ₹ 45.38 लाख अधिक दर्शाया गया है।
- जमा की गई परंतु बैंक द्वारा क्रेडिट नहीं की गई, में ₹ 7.21 लाख की दिसंबर 2014 से पूर्व की राशि शामिल है।

(ब) उपर्युक्त में प्रकाशन प्रभाग का (-) ₹ 12.26 करोड़ बैंक अंतः शेष शामिल है जबकि प्रकाशन प्रभाग के रिकॉर्ड (आर.पी.डी.सी. और बिक्री पटलों को शामिल करके) के अनुसार यह राशि ₹ (-) 12.59 करोड़ थी। इसके परिणामस्वरूप चालू परिसंपत्तियों और पूंजीगत निधि को ₹ 33.36 लाख अधिक दर्शाया गया है।

ख. सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि लेखा

ख.1 निवेश — ₹ 132.93 करोड़

उपर्युक्त में पंजाब वित्त निगम (पी.एफ.सी.) के बॉन्ड्स में ₹ 1.60 करोड़ का निवेश शामिल है जो 1/12/2016 को परिपक्व हो चुके हैं परंतु राशि प्राप्त नहीं हुई है। इसके परिणामस्वरूप निवेश में ₹ 1.60 करोड़ अधिक और चालू परिसंपत्तियों में कम दर्शाया गया है। इस मामले को गत दो वर्ष से उठाया गया है परंतु इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

ख.2 प्रोद्भूत ब्याज — ₹ 6.50 करोड़

उपर्युक्त में पी.एफ.सी. बांड में ₹ 1.60 करोड़ के निवेश पर दिसंबर 2016 से मार्च 2018 तक की अवधि के लिए ₹ 0.62 करोड़ प्रोद्भूत ब्याज शामिल है यद्यपि निवेश दिसंबर 2016 में परिपक्व हो चुका है। इसके परिणामस्वरूप प्रोद्भूत ब्याज और अधिशेष को ₹ 0.62 करोड़ से अधिक दर्शाया गया है। इस मामले को गत दो वर्ष में उठाया गया है तथापि इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

ग. सामान्य

ग.1 एन.सी.ई.आर.टी. ने सामान्य भविष्य निधि का पृथक लेखा बनाया है। तथापि भविष्य निधि लेखा की परिसंपत्तियों एवं देयताओं को मुख्य एन.सी.ई.आर.टी. लेखा में शामिल कर लिया गया है जो मा.स.वि.मं. लेखा फॉर्मेट के विरुद्ध है।

ग.2 बैंक-समाधान विवरण

एन.सी.ई.आर.टी. मुख्यालय और प्रकाशन एकक के 31.03.2019 को बैंक समाधान विवरण से निम्नवत् बिना समाधान के लेखा उजागर हुए हैं—

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	बैंक खाता संख्या	जारी चैक परंतु समाशोधित नहीं (+)	बैंक द्वारा जमा परंतु रोकड़ बही में अंकित नहीं (+)	जमा किया गया चैक परंतु बैंक द्वारा क्रेडिट नहीं किया गया (-)	बैंक द्वारा जारी नामे परंतु रोकड़ बही में अंकित नहीं (-)
1.	10137881331 (मुख्यालय)	-	1,09,97,389	-	-
2.	10137881342 (प्रकाशन)	-	10,42,64,715	3,00,03,793	-
कुल		-	11,52,62,104	3,00,03,793	-

₹ 11.52 करोड़ की राशि बैंक द्वारा जमा परंतु रोकड़ बही में नहीं ली गई राशि को दर्शाती है। इसमें प्रकाशन प्रभाग से संबंधित ₹ 6.99 लाख शामिल है जो मार्च 2014 से पूर्व के थे। अतः ₹ 11.52 करोड़ की राशि को लेखा में शामिल नहीं किया गया है। बैंक में चैक जमा के रूप में ₹ 3.00 करोड़ की राशि दर्शाई है परंतु इसे बैंक द्वारा क्रेडिट नहीं किया गया। इसमें ₹ 7.21 लाख प्रकाशन प्रभाग से संबंधित है जो दिसंबर 2014 से पूर्व के हैं। इन मामलों में पुराने मामलों पर बल देते हुए जाँच की आवश्यकता है। उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि अनेक खातों में राशियाँ बिना समाधान के विद्यमान हैं जो काफी पुरानी हैं। अतएव इनके समाधान के लिए उचित कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है।

ग.3 अप्रयुक्त अनुदान में प्रायोजित परियोजनाओं का शेष शामिल है। इसे पृथकतया दर्शाया जाना चाहिए जैसा कि मा.सं.वि. मंत्रालय फार्मेट में निर्दिष्ट है।

घ. सहायता अनुदान

परिषद् को 2018-19 के दौरान सहायता अनुदान के रूप में ₹ 283.54 करोड़ (पूँजीगत— ₹ 25.00 करोड़ और राजस्व— ₹ 258.54 करोड़) प्राप्त हुआ है जिसमें से ₹ 51.17 करोड़ (पूँजीगत— ₹ 2.08 करोड़ और राजस्व— ₹ 49.09 करोड़) का अनुदान मार्च, 2019 माह में प्राप्त हुआ था। इसका ₹ 22.63 करोड़ (पूँजीगत— शून्य और राजस्व— ₹ 22.63 करोड़) का आदि शेष था। इसकी अपनी प्रप्तियाँ ₹ 62.01 करोड़ (पूँजीगत— शून्य और राजस्व— ₹ 62.01 करोड़) है। इसने ₹ 354.59 करोड़ (पूँजीगत— ₹ 24.57 करोड़ और राजस्व— ₹ 330.02 करोड़) का उपयोग किया और ₹ 13.59 करोड़ (पूँजीगत— ₹ 0.43 करोड़ और राजस्व— ₹ 13.16 करोड़) का अव्ययित शेष बच गया।

इसे वर्ष के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय और अन्य एजेंसियों से प्रायोजित/विशिष्ट परियोजनाओं के लिए ₹ 19.37 करोड़ का अनुदान भी प्राप्त हुआ और इन परियोजनाओं से ₹ 12.82 करोड़ का आदिशेष था। कुल प्राप्त अनुदान में से ₹ 9.64 करोड़ मार्च 2019 के माह में प्राप्त हुआ था। कुल ₹ 32.19 करोड़ में से ₹ 19.57 करोड़ का खर्च परिषद् द्वारा वर्ष के दौरान इन परियोजनाओं पर किया गया जिसमें से 31 मार्च 2019 को ₹ 12.62 करोड़ शेष बच गया।

ड प्रबंधन पत्र

लेखा परीक्षा रिपोर्ट में जिन कमियों को शामिल नहीं किया गया है उनकी सुधारक/उपचारी कार्रवाई के लिए पृथक रूप से जारी एक प्रबंधन पत्र द्वारा निदेशक, एन.सी.ई.आर.टी. की सूचना में लाया गया है।

5. पिछले अनुच्छेदों में की गई अपनी टिप्पणियों के अधीन, हम सूचित करते हैं कि इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा, लेखाबहियों के अनुरूप उचित हैं।
6. हमारी राय में और सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कथित वित्तीय विवरणों को लेखा नीतियों और लेखा टिप्पणियों में उल्लिखित महत्वपूर्ण मामलों के अधीन और उपर्युक्त उल्लिखित अन्य महत्वपूर्ण मामलों और इस लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के संलग्नक में उल्लिखित अन्य विवरणों के साथ पढ़ते हुए, यह लेखा-परीक्षा रिपोर्ट भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सत्य और उचित परिदृश्य प्रस्तुत करती है।
- क. जहाँ तक इसका तुलन पत्र से संबंध है, यह राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की 31 मार्च, 2019 की कार्य स्थिति को दर्शाता है।
- ख. जहाँ तक इसका आय एवं व्यय लेखा से संबंध है उपर्युक्त तारीख पर वर्ष के अंत में अधिक्य को दर्शाता है।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के लिए और उनकी ओर से

हस्ताक्षर

महानिदेशक लेखा-परीक्षा

केंद्रीय व्यय

स्थान – नयी दिल्ली

दिनांक – 22.11.2019

ड. पृथक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक

1. आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

एन.सी.ई.आर.टी. की एक आंतरिक लेखा-परीक्षा विंग है। तथापि, एन.सी.ई.आर.टी. की आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रणाली को निम्नानुसार मज़बूतीकरण की आवश्यकता है—

- वर्ष 2018–19 के दौरान सभी 12 एककों की आंतरिक लेखा-परीक्षा की योजना थी परंतु किसी भी एकक की लेखा-परीक्षा नहीं की गई।
- आपत्तियों के निपटान हेतु समुचित अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई चूंकि 31.03.2019 को 474 आंतरिक लेखा-परीक्षा पैरा बाकी थे।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

एन.सी.ई.आर.टी. की आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रणाली पर्याप्त नहीं है क्योंकि—

- 31/03/2019 को एन.सी.ई.आर.टी. मुख्यालय के संबंध में 39 बाह्य लेखा परीक्षा पैरा निपटान के लिए बाकी थे।
- एन.सी.ई.आर.टी. के प्रकाशन प्रभाग की रोकड़ बही में 31 मार्च 2019 को ₹ 13.51 करोड़ का ऋणात्मक शेष है।
- एन.सी.ई.आर.टी. के प्रकाशन प्रभाग की बैंक समाधान विवरणी में बिना समाधान की अत्यधिक राशि।
- एन.सी.ई.आर.टी. का स्थायी परिसंपत्तियों के रजिस्टर का रख-रखाव निर्धारित फार्मेट में नहीं किया गया था।
- पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई., भोपाल द्वारा शीर्षवार खाता-बही, जर्नल और व्यय नियंत्रण रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया था।

3. स्थायी परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की व्यवस्था

- एन.सी.ई.आर.टी. (मुख्यालय) के भूमि एवं भवन का प्रत्यक्ष सत्यापन अक्टूबर 2017 तक किया जा चुका है।
- एन.सी.ई.आर.टी. (मुख्यालय) की स्थायी परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन 2016–17 तक किया जा चुका है।
- एन.सी.ई.आर.टी. के एककों (पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई.) भोपाल, उ.पू.क्षे.शि.सं., उमियाम और क्षे.शि.सं., अजमेर द्वारा स्थायी परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन नियमित रूप से नहीं किया जाता है।

4. वस्तु सूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की व्यवस्था

- एन.सी.ई.आर.टी. (मुख्यालय) और पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई., भोपाल द्वारा लेखन सामग्री तथा उपभोज्य मदों का प्रत्यक्ष सत्यापन वर्ष 2018–19 के लिए नहीं किया गया है।
- प्रकाशन प्रभाग से संबंधित पुस्तकों एवं कागज़ का प्रत्यक्ष सत्यापन क्रमशः अक्टूबर 2018 और सितंबर, 2018 के लिए किया गया था।

5. सांविधिक देय राशि के भुगतान में नियमितता

- लेखा के अनुसार, सांविधिक देय राशि के संबंध में 31.03.2019 को छह माह से अधिक कोई भुगतान बकाया नहीं था।

विद्यया ऽ मृतमश्नुते



एन सी ई आर टी
NCERT